



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 915] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 20, 2018/अग्रहायण 29, 1940

No. 915] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 20, 2018/AGRAHAYANA 29, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2018

**सा.का.नि. 1228(अ).**—केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 50) के भाग 22 की उप धारा (2) के अनुच्छेद (क) के साथ पठित धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, पैरा मेडिकल स्टॉफ (कम्बेटाईज्ड) भर्ती नियम 2005 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्र सरकार केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक उप निरीक्षक (फार्मसिस्ट), सहायक उप निरीक्षक (एक्स-रे टेक), सहायक उप निरीक्षक (प्रयोगशाला टेक्नीशियन), प्रधान आरक्षक (पशु चिकित्सक), आरक्षक (नर्सिंग उप ड्रेसर) और आरक्षक (वॉर्ड बॉय/गर्ल/आया) (पैरामेडिकल स्टॉफ) के पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं अर्थात :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** — इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, पैरा मेडिकल स्टॉफ (कम्बेटाईज्ड) समूह 'ग' पद भर्ती नियमावली, 2018 कहा जाएगा।  
(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद—संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/ पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता** —वह व्यक्ति —  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **चिकित्सा मानक —**

(1) वह व्यक्ति जो इन नियमों के तहत नियुक्ति चाहता है, उसे इन नियमों के तहत शेष—। चिकित्सा मानकों को पूरा करना होगा।

(2) उप-नियम (1) के प्रयोजनार्थ, “शेष—।” से तात्पर्य उस चिकित्सा श्रेणी से है जो गृह मंत्रालय अथवा संबंधित बलों द्वारा समय-समय पर जारी कार्यकारी दिशा-निर्देशों द्वारा अधिशासित किए जाएंगे, अर्थात्, **एस** — मनोवैज्ञानिक समस्याएं, **एच** — श्रव्य (कान संबंधी बीमारियां), **ए** — उपरी अथवा निचले अंगों अर्थात् भुजा और पैर की समस्याओं से संबंधी उपाय, **पी**— हाइपरटेंशन (उच्च रक्तचाप), कार्डिक डिजीस (हृदय सम्बन्धी बीमारी) मधुमेह (उच्च शर्करा) मोटापा (मोटा होना—अत्यधिक शारीरिक भार), कैंसर जैसी बीमारियों से संबंधित कारक और **ई**—दृष्टि अथवा आंख से संबंधित बीमारियां।

6. **विदेशियों की अपात्रता.**—किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत सरकार की लिखित पूर्व अनुमति के सिवाय, इन नियमों के तहत नियुक्ति नहीं की जाएगी परन्तु यह कि, इसमें निहित कोई भी नियम इस बल में नियुक्ति अथवा रोजगार के लिए नेपाल अथवा भूटान के नागरिक पर लागू नहीं होगा।

7. **अधिवाषिता —**

(1) इन नियमों के तहत नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपनी आयु के साठ वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् माह के अंतिम दिन दोपहर पश्चात् सेवा निवृत्त हो जाएगा।

परन्तु यह कि वह व्यक्ति जिसकी जन्मतिथि माह के प्रथम दिन की है वह पूर्ववर्ती आगामी माह के अंतिम दिन दोपहर बाद अधिवाषिता की आयु प्राप्त करने के पश्चात् सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को अधिवाषिता पर सेवानिवृत्ति की विशिष्ट आयु के पश्चात् सेवा में विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।

8. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, **तथा संघ लोक सेवा आयोग से** परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

9. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है।	सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक उप निरीक्षक (फार्मासिस्ट)	48* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-ग, अराजपत्रित, अननुसचिवीय (कम्बेटाइज्ड)	स्तर-5 (29200-92300₹)	लागू नहीं होता	18 से 28 वर्ष के बीच (1) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में पांच वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए तीन वर्ष की छूट। (2) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशिष्ट श्रेणियों के लोगों के लिए छूट होगी। (3) केन्द्रीय सरकार में तीन वर्ष की सतत् सेवा करने वाले सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग के विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयुसीमा 40 वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष होगी। <b>टिप्पण :</b> आयु सीमा का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण तिथि अभ्यर्थी से

				<p>आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि मानी जाएगी और आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख क्षेत्र, लाहौल एवं स्फीति जिले और हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले का पंगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि नहीं होगी।</p> <p>भूतपूर्व सैनिक के मामले में (केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों में पुनः नियुक्ति) भूतपूर्व सैनिक संशोधन नियमावली, 2012 के नियम 5 के अनुच्छेद (क) में यथा परिभाषित, उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि और साथ में उनकी वास्तविक आयु में से तीन वर्ष घटाने के पश्चात और परिणामी आयु अट्ठाइस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऊपरी आयु सीमा में पुनः 05 वर्षों की छूट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 3 वर्षों की छूट निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्रदान की जाएगी।</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	क्या सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति प्राप्त कर्मियों पर भी लागू होंगी
(7)	(8)
<p><b>(1) शैक्षिक योग्यता :</b></p> <p>(क) मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से 10+2 उत्तीर्ण; और</p> <p>(ख) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मसी में डिप्लोमा अथवा डिग्री।</p> <p>(ग) फार्मसी अधिनियम, 1948 के तहत 'फार्मसिस्ट' के रूप में पंजीकृत होना चाहिए (उन अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं जिन्होंने जम्मू और कश्मीर राज्य से परीक्षा उत्तीर्ण की है)</p> <p><b>(2) शारीरिक मानक :</b></p> <p><b>(ए) पुरुषों के लिए</b></p> <p><b>(i) ऊंचाई</b></p> <p>(क) सामान्य अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी - 170 सेमी।</p> <p>(ख) छूट : गढ़वाली, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किमी श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थी और अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर के राज्यों से संबंधित अभ्यर्थी - 165 सेमी।</p> <p>(ग) अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले सभी अभ्यर्थी - 162.5 सेमी।</p>	लागू नहीं होता।

**(ii) सीना :**

(क) गढ़वाली, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किमी सहित सभी अभ्यर्थियों के लिए (अनुसूचित जनजातियों के अलावा) और अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर राज्य के अभ्यर्थी - **80 - 85 सेमी**।

(ख) अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थी - **77-82 सेमी**।

**(बी) महिलाओं के लिए****(i) ऊंचाई**

(क) सामान्य अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी - **157 सेमी**।

(ख) **छूट** : गढ़वाली, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किमी श्रेणियों में आनेवाले अभ्यर्थी और अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर के राज्यों से संबंधित अभ्यर्थी - **155 सेमी**।

(ग) अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले सभी अभ्यर्थी - **154 सेमी**।

**(ii) सीना : लागू नहीं होता।**

**भार** : चिकित्सा मानको के अनुसार ऊंचाई और आयु के समानुपाती (पुरुषों और महिलाओं के लिए)

**(3) चिकित्सा मानक :**

(क) **दृश्य मानक : (प्रवेश आयु 18-35 वर्ष)**

**(1) बिना सहायता के दृश्य तीक्ष्णता (निकट दृष्टि)**

बेहतर दृष्टि - एन 6

खराब दृष्टि - एन 9

**(2) अनकरेक्टेड दृश्य तीक्ष्णता (दूर दृष्टि)**

बेहतर दृष्टि - 6/6

खराब दृष्टि - 6/9

**(3) अपवर्तन**

किसी भी प्रकार की दृश्य शुद्धि, चश्मे के द्वारा भी, की अनुमति नहीं है।

**(4) रंग दृश्यता :****आईएसआईएचएआरए द्वारा सीपी- III**

**टिप्पण** : दाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति में, दाहिनी आंख बेहतर होगी और बाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति की बायीं आंख बेहतर होगी। द्विनेत्री दृष्टि अपेक्षित है।

(ii) अभ्यर्थियों के घुटने में खटखटाहट, चपटे पैर, आंखों में भेंगापन अथवा वेरीकोज नसें नहीं होनी चाहिए। उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए और उनमें कोई शारीरिक कमी नहीं होनी चाहिए जिससे कि उन्हें अपने कार्यों के दक्षतापूर्ण निष्पादन में कोई बाधा पैदा हो।

(4) उसे शारीरिक दक्षता परीक्षण को उत्तीर्ण करना होगा।

**भूतपूर्व सैनिक/पुनः नियोजन**

सेवा निवृत्त अथवा सेवामुक्त किए गए सेना के कार्मिक जो नेवी/एयरफोर्स में नायब सूबेदार अथवा समतुल्य रैंक पर रहे हों और जिनका फार्मासिस्ट का ट्रेड रहा है। (समतुल्य अवैतनिक रैंक वाले पात्र नहीं होंगे)। उन्हें निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा अर्थात :-

**(क) शैक्षिक योग्यताएं :**

(i) भूतपूर्व सैनिक जो 10+2 पास हैं अथवा जिन्होंने समतुल्य इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ ऐजुकेशन प्राप्त किया हो अथवा नेवी/एयरफोर्स से तदनुसार प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो और जिन्होंने संघ की सशस्त्र सेनाओं के साथ अंतिम तिथि को न्यूनतम 15 वर्षों की सेवा प्रदान की हो वे विज्ञापित

पदों के लिए नियुक्ति के पात्र होंगे। वे भूतपूर्व सैनिक जो 10+2 उत्तीर्ण नहीं हैं अथवा जिन्होंने आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि को 15 वर्षों की सेवा पूर्ण नहीं की है, पात्र नहीं होंगे।

(ii) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा पुणे के आर्मी विश्वविद्यालय से फार्मसी में डिप्लोमा अथवा डिग्री।

**(ख) चिकित्सा मानक :**

(i) चिकित्सा श्रेणी शेष-। होना चाहिए और इसे भूतपूर्व सैन्य कर्मियों के लिए निर्धारित शर्तों के समतुल्य होना चाहिए।

**(ii) दृश्य मानक (प्रविष्ट 35-55 वर्ष में आयु)**

**1. दृश्य तीक्ष्णता बिना सहायता के (निकट दृष्टि)**

बेहतर दृष्टि - एन 6 खराब दृष्टि - एन 9

**2. अनकरेक्टेड दृश्य तीक्ष्णता (दूर दृष्टि)**

बेहतर दृष्टि-6/9 अथवा 6/6

खराब दृष्टि-6/9 अथवा 6/12

**3. अपवर्तन**

हाईपरमेट्रोपिया : +2 डीएस

मायोपिया : 2.5 डीएस (सिलेंडर सहित)

**टिप्पण :** आयु संबंधी शारीरिक दूर दृष्टि संबंधी बदलाव 35 वर्ष की आयु के पश्चात आ सकते हैं इसलिए निकट दृष्टि के लिए आयु के अनुसार दूर दृष्टि संबंधी परिवर्तनों में छूट को नीचे यथा उल्लिखित किया गया है। (यह दूर दृष्टि के लिए पहले से प्रदान की गई उपरोक्त छूट के अलावा होगा)

(i) 40 वर्ष तक + 1 डीएस

(ii) 50 वर्ष तक + 2 डीएस

(iii) 51 से 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के लिए

+3 डीएस

**4. रंग दृष्टि**

**आईएसआईएचएआरए द्वारा सीपी-III**

**टिप्पण 1.** दाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति में, दाहिनी आंख बेहतर होगी और बाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति की बायीं आंख बेहतर होगी। द्विनेत्री दृष्टि अपेक्षित है। 35 वर्ष की आयु के पश्चात दूर दृष्टि संबंधी परिवर्तन और अपवर्तन संबंधी त्रुटियां सामान्य होती हैं।

**टिप्पण 2.** चयनित अभ्यर्थी अन्य अभ्यर्थियों की तरह चिकित्सा परीक्षा देंगे और उन्हें चिकित्सीय रूप से फिट होना चाहिए।

**(ग) चरित्र : बहुत अच्छा/अनुकरणीय**

**(घ) शारीरिक मानक :** भूतपूर्व सैनिकों के लिए शारीरिक मानकों में पूरी छूट।

**(ङ) सेवा में व्यवधान :** दो (2) वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

**(च) भूतपूर्व सैनिकों के लिए छूट केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी।**

**टिप्पण :** केवल उन्ही अभ्यर्थियों के पुनः नियोजन पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा जिन्हें रिक्तियों के विज्ञापन की तिथि को वास्तविक रूप से कार्यभार से मुक्त अथवा सेवानिवृत्त कर दिया गया है।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जानेवाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा अथवा पुनः रोजगार द्वारा भर्ती के मामले में, वेतन मैट्रिक्स में वेतन का स्तर जिसमें से पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन या पुनः रोजगार किया जाना है।
(9)	(10)	(11)
सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा, इसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा	<b>प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन :-</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभागों या कार्यालय या प्रतिष्ठान के तहत समान पदों पर रहने वाले व्यक्तियों, जिनकी उक्त पद पर तीन साल की नियमित सेवा (प्रतिनियुक्ति की अवधि अन्य पूर्व कैडर पदों में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित) इस नियुक्ति से तुरंत पहले केन्द्र सरकार के समान या किसी अन्य संगठन या विभाग में आमतौर पर तीन साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन प्राप्त की समाप्ति तिथि पर प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)/विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे।	ऐसी परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(12)	(13)
<b>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:</b> (1) मुख्य चिकित्सा अधिकारी/कमाण्डेन्ट - अध्यक्ष (2) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/उप कमाण्डेन्ट -सदस्य (3) चिकित्सा अधिकारी/सहायक कमाण्डेन्ट - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>2. सहायक उप निरीक्षक (प्रयोगशाला तकनीशियन)</b>	<b>05*(2018)</b> *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-ग, अराजपत्रित, अननुसचिवीय (कम्बेटाइज्ड)	स्तर-5 (29200-92300रु)	लागू नहीं होता।	18 से 28 वर्ष के बीच (1) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में पांच वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए तीन वर्ष की छूट। (2) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशिष्ट श्रेणियों के लोगों के लिए छूट होगी। (3) केन्द्रीय सरकार में तीन वर्ष की सतत सेवा करने वाले विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष होगी। <b>टिप्पण :</b> आयु सीमा का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण तिथि अभ्यर्थी से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि मानी जाएगी और अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा,

					<p>सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख क्षेत्र, लाहौल एवं स्फ्रीति जिले और हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले का पंगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि नहीं होगी। भूतपूर्व सैनिकों के मामले में (पूर्व सैनिक के नियम 5 के खंड 'क' में परिभाषित किया गया है।)</p> <p>केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों (संशोधन नियम, 2012) में पुनः रोजगार उनके द्वारा प्रदत्त सेवा की सीमा और वास्तविक आयु से तीन वर्ष की कटौती और परिणामी आयु अटार्इस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में उपरी आयु में 05 वर्ष तक और अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों को 03 वर्ष की छूट दी जाएगी।</p>
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(7)	(8)
<p><b>(1) शैक्षणिक योग्यता :</b></p> <p>(क) मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से विज्ञान के साथ 10+2 पास; और</p> <p>(ख) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में 2 वर्ष का डिप्लोमा।</p> <p><b>(2) शारीरिक मानक :</b></p> <p><b>(ए) पुरुषों के लिए</b></p> <p><b>(i) ऊंचाई</b></p> <p>(क) सामान्य अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी - 170 सेमी।</p> <p>(ख) छूट : गढ़वाली, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किमी श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थी और अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर के राज्यों से संबंधित अभ्यर्थी - 165 सेमी।</p> <p>(ग) अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले सभी अभ्यर्थी - 162.5 सेमी।</p> <p><b>(ii) सीना :</b></p> <p>(क) गढ़वाली, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किमी सहित सभी अभ्यर्थियों के लिए (अनुसूचित जनजातियों के अलावा) और अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर राज्य के अभ्यर्थी - <b>80-85 सेमी।</b></p> <p>(ख) अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थी - <b>77-82 सेमी।</b></p> <p><b>(बी) महिलाओं के लिए</b></p> <p><b>(i) ऊंचाई</b></p> <p>(क) सामान्य अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी - <b>157</b> सेमी।</p> <p>(ख) छूट : गढ़वाली, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किमी श्रेणियों में आनेवाले अभ्यर्थी और अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर के राज्यों से संबंधित अभ्यर्थी - <b>155</b> सेमी।</p> <p>(ग) अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले सभी अभ्यर्थी - <b>154</b> सेमी।</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

(ii) सीना : लागू नहीं होता।

भार : चिकित्सा मानको के अनुसार ऊंचाई और आयु के समानुपाती (पुरुषों और महिलाओं के लिए)

(3) चिकित्सा मानक :

(क) दृश्य मानक : (प्रवेश आयु 18-35 वर्ष)

(1) दृश्य तीक्ष्णता बिना सहायता के (निकट दृष्टि)

बेहतर दृष्टि - एन 6

खराब दृष्टि - एन 9

(2) अनकरेक्टेड दृश्य तीक्ष्णता (दूर दृष्टि)

बेहतर दृष्टि - 6/6

खराब दृष्टि - 6/9

(3) अपवर्तन

किसी भी प्रकार की दृश्य शुद्धि, चश्मे के द्वारा भी, की अनुमति नहीं है।

(4) रंग दृश्यता :

आईएसआईएचएआरए द्वारा सीपी -III

टिप्पण : दाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति में, दाहिनी आंख बेहतर होगी और बाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति की बायीं आंख बेहतर होगी। द्विनेत्री दृष्टि अपेक्षित है।

(ii) अभ्यर्थियों के घुटने में खटखटाहट, चपटे पैर, आंखों में भेंगापन अथवा वेरीकोस नसें नहीं होनी चाहिए। उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए और उनमें कोई शारीरिक कमी नहीं होनी चाहिए जिससे कि उन्हें अपने कार्यों के दक्षतापूर्ण निष्पादन में कोई बाधा पैदा हो।

(4) उसे शारीरिक दक्षता परीक्षण को उत्तीर्ण करना होगा।

**भूतपूर्व सैनिक/पुनः नियोजन**

सेवा निवृत्त अथवा सेवामुक्त किए गए सेना के कार्मिक जिन्होंने नेवी/एयरफोर्स में नायब सूबेदार अथवा मूल समतुल्य रैंक पर रहे हों और जिनका फार्मासिस्ट का ट्रेड रहा है। (समतुल्य अवैतनिक रैंक वाले पात्र नहीं होंगे)। उन्हें नामतः निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा :-

(क) शैक्षिक योग्यताएं :

(i) भूतपूर्व सैनिक जो 10+2 पास हैं जिन्होंने समतुल्य इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन प्राप्त किया हो अथवा नेवी/एयरफोर्स में संबंध प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो अथवा जिन्होंने संघ की सशस्त्र सेनाओं के साथ अंतिम तिथि को न्यूनतम 15 वर्षों की सेवा प्रदान की है वे विज्ञापित पदों के लिए नियुक्ति के पात्र होंगे। वे भूतपूर्व सैनिक जो 10+2 उत्तीर्ण नहीं हैं अथवा जिन्होंने आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि को 15 वर्षों की सेवा पूर्ण नहीं की है, पात्र नहीं होंगे।

(ii) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा पुणे के आर्मी विश्वविद्यालय से फार्मसी में डिप्लोमा अथवा डिग्री।

(ख) चिकित्सा मानक :

(i) चिकित्सा श्रेणी शेष-। होना चाहिए।

(ii) दृश्य मानक (प्रविष्ट 35-55 वर्ष में आयु)

1. दृश्य तीक्ष्णता बिना सहायता के (निकट दृष्टि)

बेहतर दृष्टि - एन 6      खराब दृष्टि - एन 9

2. अनकरेक्टेड दृश्य तीक्ष्णता (दूर दृष्टि)

बेहतर दृष्टि-6/9 अथवा 6/6

खराब दृष्टि-6/9 अथवा 6/12

3. अपवर्तन

हाईपरमेट्रोपिया : +2 डीएस

मायोपिया : 2.5 डीएस (सिलेंडर सहित)

टिप्पण : आयु संबंधी शारीरिक दूर दृष्टि संबंधी बदलाव 35 वर्ष की आयु के पश्चात आ सकते हैं इसलिए निकट दृष्टि के लिए आयु के अनुसार दूर दृष्टि संबंधी परिवर्तनों में छूट को नीचे यथा



<p>उल्लिखित किया गया है। (यह दूर दृष्टि के लिए पहले से प्रदान की गई उपरोक्त छूट के अलावा होगा)</p> <p>(i) 40 वर्ष तक + 1 डीएस (ii) 50 वर्ष तक + 2 डीएस (iii) 51 से 60 वर्ष और उपर के लिए तक +3 डीएस</p> <p><b>1. रंग दृष्टि</b> आईएसआईएचएआरए द्वारा सीपी-III</p> <p><b>टिप्पण 1.</b> दाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति में, दाहिनी आंख बेहतर होगी और बाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति की बायीं आंख बेहतर होगी। द्विनेत्री दृष्टि अपेक्षित है। 35 वर्ष की आयु के पश्चात दूर दृष्टि संबंधी परिवर्तन और अपवर्तन संबंधी त्रुटियां सामान्य होती हैं।</p> <p><b>टिप्पण 2.</b> चयनित अभ्यर्थी अन्य अभ्यर्थियों की तरह चिकित्सा परीक्षा देंगे और उन्हें चिकित्सीय रूप से फिट होना चाहिए।</p> <p><b>(ग) चरित्र : बहुत अच्छा/अनुकरणीय</b></p> <p><b>(घ) शारीरिक मानक :</b> भूतपूर्व सैनिकों के लिए शारीरिक मानकों में पूरी छूट।</p> <p><b>(ङ) सेवा में व्यवधान :</b> दो (2) वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p> <p><b>(च) भूतपूर्व सैनिकों के लिए छूट</b> केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी।</p> <p><b>टिप्पण :</b> केवल उन्ही अभ्यर्थियों के पुनः नियोजन पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा जिन्हें रिक्रियों के विज्ञापन की तारीख को वास्तविक रूप से कार्यभार से मुक्त अथवा सेवानिवृत्त कर दिया गया है।</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

(9)	(10)	(11)
सीधी भर्ती के लिए दो साल	सीधी भर्ती द्वारा इसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा	<b>प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन :-</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभागों या कार्यालय या प्रतिष्ठान के तहत समान पदों पर रहने वाले व्यक्तियों, जिनकी उक्त पद पर तीन साल की नियमित सेवा (प्रतिनियुक्ति की अवधि अन्य पूर्व कैडर पदों में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित) इस नियुक्ति से तुरंत पहले केन्द्रीय सरकार के समान या किसी अन्य संगठन या विभाग में आमतौर पर तीन साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन प्राप्ति की समाप्ति तिथि पर प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(12)	(13)
<p><b>समूह 'ग' विभागीय समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:</b></p> <p>(1) मुख्य चिकित्सा अधिकारी/कमाण्डेन्ट – अध्यक्ष (2) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/उप कमाण्डेन्ट – सदस्य (3) चिकित्सा अधिकारी/सहायक कमाण्डेन्ट – सदस्य</p>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. सहायक उप निरीक्षक (एक्स-रे तकनीशियन)	05*(2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-ग, अराजपत्रित, अननुसचिवीय (कम्बेटाइज्ड)	स्तर-5 (29200-92300रु)	लागू नहीं होता।	<p>18 से 28 वर्ष के बीच</p> <p>(1) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में पांच वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए तीन वर्ष की छूट।</p> <p>(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशिष्ट श्रेणियों के लोगों के लिए छूट होगी।</p> <p>(3) केन्द्रीय सरकार में तीन वर्ष की सतत् सेवा वाले विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष होगी।</p> <p><b>टिप्पण :</b> आयु सीमा का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण तिथि अभ्यर्थी से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि मानी जाएगी और अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख क्षेत्र, लाहौर एवं स्फीति जिले और हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले का पंगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि नहीं होगी।</p> <p>भूतपूर्व सैनिकों के मामले में (पूर्व सैनिक के नियम 5 के खंड 'क' में परिभाषित किया गया है।)</p> <p>केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों (संशोधन नियम, 2012) में पुनः रोजगार उनके द्वारा प्रदत्त सेवा की सीमा और वास्तविक आयु से तीन वर्ष की कटौती और परिणामी आयु अटार्इस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में ऊपरी आयु में 05 वर्ष तक और अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों को 03 वर्ष की छूट दी जाएगी।</p>

(7)	(8)
<p>(1) <b>शैक्षणिक योग्यता :</b>  (क) मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से 10+2 पास; और  (ख) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियोग्राफी में 2 वर्ष का डिप्लोमा।</p> <p>(2) <b>शारीरिक मानक :</b>  <b>(ए) पुरुषों के लिए</b>  <b>(i) ऊंचाई</b>  (क) सामान्य अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी - 170 सेमी।  (ख) <b>छूट :</b> गढ़वाली, कुमाऊंजी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किमी श्रेणियों में आनेवाले अभ्यर्थी और अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर के राज्यों से संबंधित अभ्यर्थी - 165 सेमी।  (ग) अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले सभी अभ्यर्थी - 162.5 सेमी।  <b>(ii) सीना :</b>  (क) गढ़वाली, कुमाऊंजी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किमी सहित सभी अभ्यर्थियों के लिए (अनुसूचित जनजातियों के अलावा) और अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर राज्य के अभ्यर्थी - 80 - 85 सेमी।  (ख) अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थी - 77-82 सेमी।  <b>(बी) महिलाओं के लिए</b>  <b>(i) ऊंचाई</b>  (क) सामान्य अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी - 157 सेमी।  (ख) <b>छूट :</b> गढ़वाली, कुमाऊंजी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किमी श्रेणियों में आनेवाले अभ्यर्थी और अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर के राज्यों से संबंधित अभ्यर्थी - 155 सेमी।  (ग) अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले सभी अभ्यर्थी - 154 सेमी।  <b>(ii) सीना :</b> लागू नहीं होता।  <b>भार :</b> चिकित्सा मानकों के अनुसार ऊंचाई और आयु के समानुपाती (पुरुषों और महिलाओं के लिए)  <b>(3) चिकित्सा मानक :</b>  <b>(क) दृश्य मानक : (प्रवेश आयु 18-35 वर्ष)</b>  (1) <b>दृश्य तीक्ष्णता बिना सहायता के (निकट दृष्टि)</b>  बेहतर दृष्टि - एन 6  खराब दृष्टि - एन 9  (2) <b>अनकरेक्टेड दृश्य तीक्ष्णता (दूर दृष्टि)</b>  बेहतर दृष्टि - 6/6  खराब दृष्टि - 6/9  <b>(3) अपवर्तन</b>  किसी भी प्रकार की दृश्य शुद्धि, चश्में के द्वारा भी, की अनुमति नहीं है।  <b>(4) रंग दृश्यता :</b>  आईएसआईएचएआरए द्वारा सीपी -III  <b>टिप्पण:</b> दाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति में, दाहिनी आंख बेहतर होगी और बाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति की बायीं आंख बेहतर होगी। द्विनेत्री दृष्टि अपेक्षित है।  (ii) अभ्यर्थियों के घुटने में खटखटाहट, चपटे पैर, आंखों में भेगापन अथवा वेरीकोस नसों नहीं होनी चाहिए। उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए और उनमें कोई शारीरिक कमी नहीं होनी चाहिए जिससे कि उन्हें अपने कार्यों के दक्षतापूर्ण निष्पादन में कोई बाधा पैदा हो।  (4) उसे शारीरिक दक्षता परीक्षण को उत्तीर्ण करना होगा।  <b>भूतपूर्व सैनिक/पुनः नियोजन</b>  सेवा निवृत्त अथवा सेवामुक्त किए गए सेना के कार्मिक जिन्होंने नेवी/एयरफोर्स में नायब सूबेदार</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

अथवा मूल समतुल्य रैंक पर रहे हों और जिनका एक्स-रे का ट्रेड रहा है। (समतुल्य अवैतानिक रैंक वाले पात्र नहीं होंगे)। अर्थात् उन्हें निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा :-

**(क) शैक्षिक योग्यताएं :**

(i) भूतपूर्व सैनिक जो 10+2 पास हैं जिन्होंने समतुल्य इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन प्राप्त की हो अथवा नेवी/एयरफोर्स में संबंध प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो अथवा जिन्होंने संघ की सशस्त्र सेनाओं के साथ अंतिम तिथि को न्यूनतम 15 वर्षों की सेवा प्रदान की है वे विज्ञापित पदों के लिए नियुक्ति के पात्र होंगे। वे भूतपूर्व सैनिक जो 10+2 उत्तीर्ण नहीं हैं अथवा जिन्होंने आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि को 15 वर्षों की सेवा पूर्ण नहीं की है, पात्र नहीं होंगे।

(ii) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा पुणे के आर्मी विश्वविद्यालय से रेडियोग्राफी में डिप्लोमा।

**(ख) चिकित्सा मानक :**

(i) चिकित्सा श्रेणी शेष-। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित समकक्ष होना चाहिए।

**(ii) दृश्य मानक (प्रविष्ट 35-55 वर्ष में आयु)**

**1. दृश्य तीक्ष्णता बिना सहायता के (निकट दृष्टि)**

बेहतर दृष्टि - एन 6 खराब दृष्टि - एन 9

**2. अनकरेक्टेड दृश्य तीक्ष्णता (दूर दृष्टि)**

बेहतर दृष्टि-6/9 अथवा 6/6

खराब दृष्टि-6/9 अथवा 6/12

**3. अपवर्तन**

हाईपरमेट्रोपिया : + 2 डीएस

मायोपिया : 2.5 डीएस (सिलेंडर सहित)

**टिप्पण :** आयु संबंधी शारीरिक दूर दृष्टि संबंधी बदलाव 35 वर्ष की आयु के पश्चात् आ सकते हैं इसलिए निकट दृष्टि के लिए आयु के अनुसार दूर दृष्टि संबंधी परिवर्तनों में छूट को नीचे यथा उल्लिखित किया गया है। (यह दूर दृष्टि के लिए पहले से प्रदान की गई उपरोक्त छूट के अलावा होगा)

(i) 40 वर्ष तक + 1 डीएस

(ii) 50 वर्ष तक + 2 डीएस

(iii) 51 से 60 वर्ष और उपर के लिए तक +3 डीएस

**1. रंग दृष्टि**

आईएसआईएचएआरए द्वारा सीपी-III

**टिप्पण 1.** दाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति में, दाहिनी आंख बेहतर होगी और बाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति की बायीं आंख बेहतर होगी। द्विनेत्री दृष्टि अपेक्षित है। 35 वर्ष की आयु के पश्चात् दूर दृष्टि संबंधी परिवर्तन और अपवर्तन संबंधी त्रुटियां सामान्य होती हैं।

**टिप्पण 2.** चयनित अभ्यर्थी अन्य अभ्यर्थियों की तरह चिकित्सा परीक्षा देंगे और उन्हें चिकित्सीय रूप से फिट होना चाहिए।

**(ग) चरित्र : बहुत अच्छा/अनुकरणीय**

**(घ) शारीरिक मानक :** भूतपूर्व सैनिकों के लिए शारीरिक मानकों में पूर्व छूट।

**(ङ) सेवा में व्यवधान :** दो (2) वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

**(च) भूतपूर्व सैनिकों के लिए छूट** केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी।

**टिप्पण :** केवल उन्ही अभ्यर्थियों के पुनः नियोजन पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा जिन्हें रिक्तियों के विज्ञापन की तिथि को वास्तविक रूप से कार्यभार से मुक्त अथवा सेवानिवृत्त कर दिया गया है।

(9)	(10)	(11)
सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा इसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा ।	<b>प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन</b> :—केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभागों या कार्यालय या प्रतिष्ठान के तहत समान पदों पर रहने वाले व्यक्तियों जिसकी उक्त पद में तीन साल की नियमित सेवा (प्रतिनियुक्ति की अवधि अन्य पूर्व कैंडर पदों में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित) इस नियुक्ति से तुरंत पहले केन्द्र सरकार के समान या किसी अन्य संगठन या विभाग में आमतौर पर तीन साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन प्राप्ति की समाप्ति तिथि पर प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(12)	(13)
<b>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिनमें निम्नलिखित होंगे:</b>  (1) मुख्य चिकित्सा अधिकारी / कमाण्डेन्ट — अध्यक्ष (2) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी / उप कमाण्डेन्ट — सदस्य (3) चिकित्सा अधिकारी / सहायक कमाण्डेन्ट — सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>4. आरक्षक (नर्सिंग सहायक / ड्रेसर)</b>	<b>14*(2018)</b> *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-ग, अराजपत्रित, अननुसचिवीय (कम्बेटाइज्ड)	स्तर-3 (21700-69100रु)	लागू नहीं होता।	18 से 25 वर्ष के बीच (1) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में पांच वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए तीन वर्ष की छूट। (2) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशिष्ट श्रेणियों के लोगों के लिए छूट होगी। (3) केन्द्रीय सरकार में तीन वर्ष की सतत सेवा वाले विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष होगी। <b>टिप्पण</b> : आयु सीमा का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण तिथि अभ्यर्थी से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि मानी जाएगी और अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख क्षेत्र, लाहौल एवं स्फ्रीति जिले और हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले का पंगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के लिए निर्धारित

					<p>अंतिम तिथि नहीं होगी। भूतपूर्व सैनिकों के मामले में {पूर्व सैनिकों के नियम 5, (केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों में पुनः रोजगार संशोधन नियम, 2012} (क) में यथा परिभाषित, उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की सीमा और उनकी वास्तविक आयु में से तीन साल घटाकर प्राप्त की जाएगी और परिणामी आयु पच्चीस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p> <p>निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ऊपरी आयु सीमा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में, 05 वर्ष तक और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए तीन वर्ष तक की छूट होगी।</p>
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(7)	(8)
<p><b>(1) शैक्षणिक योग्यता :</b></p> <p>(i) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान के साथ कम से कम मैट्रिक परीक्षा पास अथवा समकक्ष; और</p> <p>(ii) जख्मों की मरहम एवं पट्टी में कम से कम 01 साल का अनुभव होना चाहिए।</p> <p>(iii) भर्ती होने के बाद उम्मीदवार को परीवीक्षा अवधि के अंदर केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में छः महीने का मूलभूत नर्सिंग सहायक पाठ्यक्रम अथवा चिकित्सा पाठ्यक्रम पास करना होगा।</p> <p><b>(2) शारीरिक मानक :</b></p> <p><b>(ए) पुरुषों के लिए</b></p> <p><b>(i) ऊंचाई</b></p> <p>(क) सामान्य अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी – 170 सेमी।</p> <p>(ख) <b>छूट :</b> गढ़वाली, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किमी श्रेणियों में आनेवाले अभ्यर्थी और अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर के राज्यों से संबंधित अभ्यर्थी – 165 सेमी।</p> <p>(ग) अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले सभी अभ्यर्थी – 162.5 सेमी।</p> <p><b>(ii) सीना:</b></p> <p>(क) गढ़वाली, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किमी सहित सभी अभ्यर्थियों के लिए (अनुसूचित जनजातियों के अलावा) और अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर राज्य के अभ्यर्थी – <b>80-85 सेमी।</b></p> <p>(ख) अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थी – <b>76-81 सेमी।</b></p> <p><b>(बी) महिलाओं के लिए</b></p> <p><b>(i) ऊंचाई</b></p> <p>(क) सामान्य अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी – <b>157 सेमी।</b></p> <p>(ख) <b>छूट :</b> गढ़वाली, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किमी श्रेणियों में आनेवाले अभ्यर्थी और आसाम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर के राज्यों से संबंधित अभ्यर्थी – <b>155 सेमी।</b></p> <p>(ग) अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले सभी अभ्यर्थी – <b>150 सेमी।</b></p> <p><b>(ii) छाती :</b> लागू नहीं होता।</p> <p><b>भार :</b> चिकित्सा मानको के अनुसार ऊंचाई और आयु के समानुपाती (पुरुषों और महिलाओं के लिए)</p> <p><b>(3) चिकित्सा मानक :</b></p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

(क) दृश्य मानक : (प्रवेश आयु 18—35 वर्ष)

(1) दृश्य तीक्ष्णता बिना सहायता के (निकट दृष्टि)

बेहतर दृष्टि — एन 6

खराब दृष्टि — एन 9

(2) अनकरेक्टेड दृश्य तीक्ष्णता (दूर दृष्टि)

बेहतर दृष्टि — 6/6

खराब दृष्टि — 6/9

(3) अपवर्तन

किसी भी प्रकार की दृश्य शुद्धि, चश्मे के साथ भी, की अनुमति नहीं है।

(4) रंग दृश्यता :

आईएसआईएचएआरए द्वारा सीपी—III

**टिप्पण :** दाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति में, दाहिनी आंख बेहतर होगी और बाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति की बायीं आंख बेहतर होगी। द्विनेत्री दृष्टि अपेक्षित है।

(ii) अभ्यर्थियों के घुटने में खटखटाहट, चपटे पैर, अपस्कीत शिरा और आंखों में भेंगापन नहीं होनी चाहिए। उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए और उनमें कोई शारीरिक कमी नहीं होनी चाहिए जिससे उनके अपने कार्यों के दक्षतापूर्ण निष्पादन में कोई बाधा पैदा हो।

(4) उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षण को उत्तीर्ण करना होगा।

**भूतपूर्व सैनिक/पुनः नियोजन**

सेवा निवृत्त अथवा सेवामुक्त किए गए सेना के कार्मिक जो नेवी/एयरफोर्स में सिपाही अथवा मूल समतुल्य रैंक पर रहे हों और जिनका नर्सिंग सहायक/ड्रेसर का ट्रेड रहा है। (समतुल्य अवैतनिक रैंक वाले पात्र नहीं होंगे)। उन्हें निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा :-

(क) शैक्षिक योग्यताएं :

(i) वे भूतपूर्व सैनिक जो 10वीं अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हैं अथवा जिन्होंने सेना का प्रथम श्रेणी प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो अथवा नेवी/एयरफोर्स का समतुल्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो अथवा जिन्होंने संघ की सशस्त्र सेनाओं के साथ अंतिम तिथि को न्यूनतम 15 वर्षों की सेवा प्रदान की है वे विज्ञापित पदों के लिए नियुक्ति के पात्र होंगे। वे भूतपूर्व सैनिक जो 10वीं उत्तीर्ण नहीं हैं अथवा जिन्होंने आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि को 15 वर्षों की सेवा पूर्ण नहीं की है, पात्र नहीं होंगे।

(ख) चिकित्सा मानक :

(i) चिकित्सा श्रेणी शेष—। होना चाहिए और भूतपूर्व सैनिकों के लिए मानकों के समतुल्य होना चाहिए।

(ii) दृश्य मानक (प्रवेश आयु 35—55 वर्ष)

1. दृश्य तीक्ष्णता बिना सहायता के (निकट दृष्टि)

बेहतर दृष्टि — एन 6      खराब दृष्टि — एन 9

2. अनकरेक्टेड दृश्य तीक्ष्णता (दूर दृष्टि)

बेहतर दृष्टि—6/9 अथवा 6/6

खराब दृष्टि—6/9 अथवा 6/12

3. अपवर्तन

हाईपरमेट्रोपिया : +2 डीएस

मायोपिया : 2.5 डीएस (सिलेंडर सहित)

**टिप्पण :** आयु संबंधी शारीरिक दूर दृष्टि संबंधी बदलाव 35 वर्ष की आयु के पश्चात आ सकते हैं इसलिए निकट दृष्टि के लिए आयु के अनुसार दूर दृष्टि संबंधी परिवर्तनों में छूट को नीचे यथा उल्लिखित किया गया है। (यह दूर दृष्टि के लिए पहले से प्रदान की गई उपरोक्त छूट के अलावा होगा)

(i) 40 वर्ष तक + 1 डीएस

(ii) 50 वर्ष तक + 2 डीएस

<p>(iii) 51 से 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के लिए</p> <p>+3 डीएस</p> <p>4. रंग दृष्टि</p> <p>आईएसआईएचएआरए द्वारा सीपी-III</p> <p><b>टिप्पण 1.</b> दाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति में, दाहिनी आंख बेहतर होगी और बाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति की बायीं आंख बेहतर होगी। द्विनेत्री दृष्टि अपेक्षित है। 35 वर्ष की आयु के पश्चात दूर दृष्टि संबंधी परिवर्तन और अपवर्तन संबंधी त्रुटियां सामान्य होती हैं।</p> <p><b>टिप्पण 2.</b> चयनित अभ्यर्थी अन्य अभ्यर्थियों की तरह चिकित्सा परीक्षा देंगे और उन्हें चिकित्सीय रूप से फिट होना चाहिए।</p> <p>(ग) चरित्र : बहुत अच्छा/अनुकरणीय</p> <p>(घ) शारीरिक मानक : भूतपूर्व सैनिकों के लिए शारीरिक मानकों में कुल छूट।</p> <p>(ङ) सेवा में व्यवधान : तीन (3) वर्षों से अधिक नहीं होना चाहिए।</p> <p>(च) भूतपूर्व सैनिकों के लिए छूट केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी।</p> <p><b>टिप्पण :</b> केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के पुनः नियोजन पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा जिन्हें रिक्तियों के विज्ञापन की तिथि को वास्तविक रूप से कार्यभार से मुक्त अथवा सेवानिवृत्त कर दिया गया है।</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

(9)	(10)	(11)
सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।	संपरिवर्तन द्वारा इसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	<p><b>संपरिवर्तन द्वारा :-</b> आरक्षक (सामान्य ड्यूटी), आरक्षक (ट्रेडसमैन) एवं आरक्षक (वार्ड बॉय/गर्ल्स/आया) से, जिनके पास मैट्रिक की शैक्षिक योग्यता है, जिन्होंने परिवीक्षाधीन अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है और केन्द्रीय पैरा सैन्य बलों में नर्सिंग सहायक/चिकित्सा पाठ्यक्रम योग्यता प्राप्त की है।</p> <p><b>टिप्पण :</b> मौजूदा नर्सिंग आरदली/सहायक (नागरिक) को आरक्षक (नर्सिंग सहायक) में परिवर्तित किया जा सकता है जो पद की पात्रता की शर्तों को पूरा करता हो।</p>

(12)	(13)
<p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिनमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>(1) मुख्य चिकित्सा अधिकारी/कमाण्डेन्ट — अध्यक्ष</p> <p>(2) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/उप कमाण्डेन्ट — सदस्य</p> <p>(3) चिकित्सा अधिकारी/सहायक कमाण्डेन्ट — सदस्य</p>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. आरक्षक (वार्ड बॉय/गर्ल्स/आया)	14* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-ग, अराजपत्रित, अननुसचिवीय (कम्बेटाइज्ड)	स्तर-3 (21700-69100रु)	लागू नहीं होता।	18 से 25 वर्ष के बीच (1) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में पांच वर्ष तक और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए तीन वर्ष की छूट। (2) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशिष्ट श्रेणियों के लोगों के



				<p>लिए छूट योग्य।</p> <p>(3) केन्द्रीय सरकार में तीन वर्ष की सतत सेवा वाले विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष होगी।</p> <p><b>टिप्पण :</b> आयु सीमा का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण तिथि अभ्यर्थी से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि मानी जाएगी और आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख क्षेत्र, लाहौल एवं स्फीति जिले और हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले का पंगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि नहीं होगी।</p> <p>भूतपूर्व सैनिकों के मामले में (पूर्व सैनिकों के नियम 5, खण्ड (क) केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों में पुनः रोजगार संशोधन नियम, 2012 में यथा परिभाषित, उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की सीमा और उनकी वास्तविक आयु में से तीन साल घटाकर प्राप्त की जाएगी और परिणामी आयु पच्चीस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p> <p>निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उपरी आयु सीमा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में, 05 वर्ष तक और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए तीन वर्ष तक की छूट होगी।</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(7)	(8)
<p><b>(1) शैक्षणिक योग्यता :</b></p> <p>(i) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम मैट्रिक परीक्षा पास अथवा समकक्ष; और</p> <p>(ii) भारत के सेंट जॉन एम्बुलेंस संगठन अथवा रेड क्रॉस सोसायटी से प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र होना चाहिए।</p> <p><b>(2) शारीरिक मानक :</b></p> <p><b>(क) पुरुषों के लिए</b></p> <p><b>(i) ऊंचाई</b></p> <p>(क) सामान्य अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी – 170 सेमी।</p> <p>(ख) छूट : गढ़वाली, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किमी श्रेणियों में आनेवाले अभ्यर्थी और अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

और जम्मू कश्मीर के राज्यों से संबंधित अभ्यर्थी - 165 सेमी।

(ग) अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले सभी अभ्यर्थी - 162.5 सेमी।

**(ii) सीना :**

(क) गढ़वाली, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम सहित सभी अभ्यर्थियों के लिए (अनुसूचित जनजातियों के अलावा) और अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर राज्य के अभ्यर्थी - **80-85 सेमी।**

(ख) अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थी-**76-81 सेमी।**

**(बी) महिलाओं के लिए**

**(i) ऊंचाई**

(क) सामान्य अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी - **157 सेमी।**

(ख) **छूट :** गढ़वाली, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम श्रेणियों में आनेवाले अभ्यर्थी और अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर के राज्यों से संबंधित अभ्यर्थी - **155 सेमी।**

(ग) अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले सभी अभ्यर्थी - **150 सेमी।**

**(ii) सीना :** लागू नहीं होता।

**भार :** चिकित्सा मानको के अनुसार ऊंचाई और आयु के समानुपाती (पुरुषों और महिलाओं के लिए)

**(3) चिकित्सा मानक :**

(क) **दृश्य मानक :** (प्रवेश आयु 18 -35 वर्ष)

(1) **दृश्य तीक्ष्णता बिना सहायता के (निकट दृष्टि)**

बेहतर दृष्टि - एन 6 खराब दृष्टि - एन 9

(2) **अनकरेक्टेड दृश्य तीक्ष्णता (दूर दृष्टि)**

बेहतर दृष्टि - 6/6 खराब दृष्टि - 6/9

**(3) अपवर्तन**

किसी भी प्रकार की दृश्य शुद्धि, चश्मे के साथ भी, की अनुमति नहीं है।

**(4) रंग दृश्यता :**

आईएसआईएचएआरए द्वारा सीपी -III

**टिप्पण :** दाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति में, दाहिनी आंख बेहतर होगी और बाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति की बायीं आंख बेहतर होगी। द्विनेत्री दृष्टि अपेक्षित है।

(ii) अभ्यर्थियों के घुटने में खटखटाहट, चपटे पैर, आंखों में भेंगापन अथवा अपस्कीत शिरा नहीं होनी चाहिए। उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए और उनमें कोई शारीरिक कमी नहीं होनी चाहिए जिससे कि उन्हें अपने कार्यों के दक्षतापूर्ण निष्पादन में कोई बाधा पैदा हो।

(4) उसे शारीरिक दक्षता परीक्षण को उत्तीर्ण करना होगा।

**भूतपूर्व सैनिक/पुनः नियोजन**

सेवा निवृत्त अथवा सेवामुक्त किए गए सेना के कार्मिक जिन्होंने नेवी/एयरफोर्स में सिपाही अथवा समतुल्य रैंक पर रहे हों और जिनका आरक्षक (वार्ड वॉय/गर्ल/आया) का ट्रेड रहा है। (समतुल्य अवैतनिक रैंक वाले पात्र नहीं होंगे)।

उन्हें नामतः निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा अर्थात् :-

**(क) शैक्षिक योग्यताएं :**

(i) वे भूतपूर्व सैनिक जो 10वीं पास की है अथवा जिन्होंने सेना का प्रथम श्रेणी प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है अथवा नेवी/एयरफोर्स का समतुल्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो अथवा जिन्होंने संघ की सशस्त्र सेनाओं के साथ अंतिम तिथि को न्यूनतम 15 वर्षों की सेवा प्रदान की है वे विज्ञापित पदों के लिए नियुक्ति के पात्र होंगे। वे भूतपूर्व सैनिक जो 10वीं उत्तीर्ण नहीं हैं अथवा जिन्होंने आवेदन

<p>पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि को 15 वर्षों की सेवा पूर्ण नहीं की है, पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>(ख) चिकित्सा मानक :</b></p> <p>(i) चिकित्सा श्रेणी शेष—। होना चाहिए और भूतपूर्व सैनिक के लिये मानकों के समतुल्य होना चाहिए।</p> <p><b>(ii) दृश्य मानक (प्रवेश आयु में 35—55 वर्ष)</b></p> <p>1. दृश्य तीक्ष्णता बिना सहायता के (निकट दृष्टि)</p> <p>बेहतर दृष्टि — एन 6      खराब दृष्टि — एन 9</p> <p>2. अनकरेक्टेड दृश्य तीक्ष्णता (दूर दृष्टि)</p> <p>बेहतर दृष्टि—6/9 अथवा 6/6</p> <p>खराब दृष्टि—6/9 अथवा 6/12</p> <p><b>(ङ) सेवा में व्यवधान :</b> तीन (3) वर्षों से अधिक नहीं होना चाहिए।</p> <p><b>(च) भूतपूर्व सैनिकों के लिए छूट</b> केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी।</p> <p><b>टिप्पण :</b> केवल उन्ही अभ्यर्थियों के पुनः नियोजन पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा जिन्हें रिक्तियों के विज्ञापन की तिथि को वास्तविक रूप से कार्यभार से मुक्त अथवा सेवानिवृत्त कर दिया गया है।</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

(9)	(10)	(11)
सीधी भर्ती के लिए दो साल	सीधी भर्ती द्वारा इसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या अयोजन द्वारा	<b>प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन</b> :- उपरोक्त पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के विभागों अथवा कार्यालय अथवा प्रतिष्ठानों में समकक्ष पदों पर कार्य कर रहे व्यक्ति (उसी अथवा केन्द्र सरकार के अन्य किसी संगठन अथवा विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए)। प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(12)	(13)
<b>समूह 'ग' विभागीय समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:</b>	लागू नहीं होता।
(1) मुख्य चिकित्सा अधिकारी/कमाण्डेन्ट — अध्यक्ष	
(2) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/उप कमाण्डेन्ट — सदस्य	
(3) चिकित्सा अधिकारी/सहायक कमाण्डेन्ट — सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>6. प्रधान आरक्षक (वेटनरी)</b>	<b>5*(2018)</b> *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह—ग, अराजपत्रित, अननुसचिवीय (कम्बेटाइज्ड)	स्तर—4 (25500—81100रु)	लागू नहीं होता।	18 से 25 वर्ष के बीच (1) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में पांच वर्ष तक और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए तीन वर्ष तक की छूट। (2) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशिष्ट श्रेणियों के लोगों के लिए छूट योग्य। (3) केन्द्रीय सरकार में तीन वर्ष की

					<p>सतत् सेवा वाले विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष होगी।</p> <p><b>टिप्पण :</b> आयु सीमा का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण तिथि अभ्यर्थी से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि मानी जाएगी और आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख क्षेत्र, लाहौल एवं स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले का पंगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि नहीं होगी।</p> <p>भूतपूर्व सैनिकों के मामले में {पूर्व सैनिकों के नियम 5, खण्ड (क) (केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों में पुनः रोजगार संशोधन नियम, 2012) में यथा परिभाषित, उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की सीमा और उनकी वास्तविक आयु में से तीन साल घटाकर प्राप्त की जाएगी और परिणामी आयु पच्चीस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p> <p>निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ऊपरी आयु सीमा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में, 05 वर्ष तक और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए तीन वर्ष तक की छूट होगी।</p>
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(7)	(8)
<p><b>(1) शैक्षणिक योग्यता :</b></p> <p>(क) मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संगठन से 10+2 परीक्षा पास अथवा समकक्ष।</p> <p>(ख) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से वेटनरी थेरेपेटिक अथवा पशुधन प्रबंधन से संबंधित न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का पैरा वेटनरी कोर्स अथवा डिप्लोमा अथवा सार्टिफिकेट प्राप्त किया हो।</p> <p><b>(2) शारीरिक मानक :</b></p> <p><b>(ए) पुरुषों के लिए</b></p> <p><b>(i) ऊंचाई</b></p> <p>(क) सामान्य अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी – 170 सेमी।</p> <p>(ख) <b>छूट :</b> गढ़वाली, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किमी श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थी और अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर के राज्यों से संबंधित अभ्यर्थी – 165 सेमी।</p> <p>(ग) अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले सभी अभ्यर्थी – 162.5 सेमी।</p> <p><b>(ii) सीना :</b></p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

(क) गढ़वाली, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किमी सहित सभी अभ्यर्थियों के लिए (अनुसूचित जनजातियों के अलावा) और आसाम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर राज्य के अभ्यर्थी — 80-85 सेमी।

(ख) अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थी — 77-82 सेमी।

### (बी) महिलाओं के लिए

#### (i) ऊंचाई

(क) सामान्य अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी — 157 सेमी।

(ख) छूट : गढ़वाली, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किमी श्रेणियों में आनेवाले अभ्यर्थी और अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर के राज्यों से संबंधित अभ्यर्थी — 155 सेमी।

(ग) अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले सभी अभ्यर्थी — 154 सेमी।

(ii) सीना : लागू नहीं होता।

भार : चिकित्सा मानकों के अनुसार ऊंचाई और आयु के समानुपाती (पुरुषों और महिलाओं के लिए)

#### (3) चिकित्सा मानक :

(क) दृश्य मानक : (प्रवेश आयु 18-35 वर्ष)

(1) दृश्य तीक्ष्णता बिना सहायता के (निकट दृष्टि)

बेहतर दृष्टि — एन 6 खराब दृष्टि — एन 9

(2) अनकरेक्टेड दृश्य तीक्ष्णता (दूर दृष्टि)

बेहतर दृष्टि — 6/6 खराब दृष्टि — 6/9

#### (3) अपवर्तन

किसी भी प्रकार की दृश्य शुद्धि, चश्मे के द्वारा भी, की अनुमति नहीं है।

#### (4) रंग दृश्यता :

आईएसआईएचएआरए द्वारा सीपी -III

टिप्पण : दाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति में, दाहिनी आंख बेहतर होगी और बाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति की बायीं आंख बेहतर होगी। द्विनेत्री दृष्टि अपेक्षित है।

(ii) अभ्यर्थियों के घुटने में खटखटाहट, चपटे पैर, आंखों में भेगापन अथवा अपस्कीत शिरा नहीं होनी चाहिए। उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए और उनमें कोई शारीरिक कमी नहीं होनी चाहिए जिससे कि उन्हें अपने कार्यों के दक्षतापूर्ण निष्पादन में कोई बाधा पैदा हो।

(4) उसे शारीरिक दक्षता परीक्षण को उत्तीर्ण करना होगा।

#### भूतपूर्व सैनिक/पुनः नियोजन

सेवा निवृत्त अथवा सेवामुक्त किए गए सेना के कार्मिक जिन्होंने नेवी/एयरफोर्स में प्रधान आरक्षक (वेट) अथवा समतुल्य रैंक पर रहे हों (समतुल्य अवैतनिक रैंक वाले पात्र नहीं होंगे)।

उन्हें निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा अर्थात् :-

#### (क) शैक्षिक योग्यताएं :

(i) भूतपूर्व सैनिक जो 10+2 पास हैं जिन्होंने समतुल्य इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन प्राप्त की हो अथवा नेवी/एयरफोर्स में संबंध प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो अथवा जिन्होंने संघ की सशस्त्र सेनाओं के साथ अंतिम तिथि को न्यूनतम 15 वर्षों की सेवा प्रदान की है वे विज्ञापित पदों के लिए नियुक्ति के पात्र होंगे। वे भूतपूर्व सैनिक जो 10+2 उत्तीर्ण नहीं हैं अथवा जिन्होंने आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि को 15 वर्षों की सेवा पूर्ण नहीं की है, पात्र नहीं होंगे।

(ii) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा पुणे के आर्मी विश्वविद्यालय से पैरा वेटनरी कोर्स में डिप्लोमा।

#### (ख) चिकित्सा मानक :

(i) चिकित्सा श्रेणी शेष—। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित मानकों के समतुल्य होना चाहिए।

<p><b>(ii) दृश्य मानक (प्रवेश आयु 35-55 वर्ष आयु)</b></p> <p>1. <b>करेक्टेड दृश्य तीक्ष्णता (निकट दृष्टि)</b> बेहतर दृष्टि - एन 6 खराब दृष्टि - एन 9</p> <p>2. <b>अनकरेक्टेड दृश्य तीक्ष्णता (दूर दृष्टि)</b> बेहतर दृष्टि-6/9 अथवा 6/6 खराब दृष्टि-6/9 अथवा 6/12</p> <p>3. <b>अपवर्तन :</b> हाईपरमेट्रोपिया : +2 डीएस मायोपिया : 2.5 डीएस (सिलेंडर सहित)</p> <p><b>टिप्पण . :</b> आयु संबंधी शारीरिक दूर दृष्टि संबंधी बदलाव 35 वर्ष की आयु के पश्चात आ सकते हैं इसलिए निकट दृष्टि के लिए आयु के अनुसार दूर दृष्टि संबंधी परिवर्तनों में छूट को नीचे यथा उल्लिखित किया गया है। (यह दूर दृष्टि के लिए पहले से प्रदान की गई उपरोक्त छूट के अलावा होगा)</p> <p>(i) <b>40 वर्ष तक + 1 डीएस</b></p> <p>(ii) <b>50 वर्ष तक + 2 डीएस</b></p> <p>(iii) <b>51 से 60 वर्ष और ऊपर के लिए तक +3 डीएस</b></p> <p>1. <b>रंग दृष्टि :</b> आईएसआईएचएआरए द्वारा सीपी-III</p> <p><b>टिप्पण 1.</b> दाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति में, दाहिनी आंख बेहतर होगी और बाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति की बायीं आंख बेहतर होगी। द्विनेत्री दृष्टि अपेक्षित है। 35 वर्ष की आयु के पश्चात दूर दृष्टि संबंधी परिवर्तन और अपवर्तन संबंधी त्रुटियां सामान्य होती हैं।</p> <p><b>टिप्पण 2.</b> चयनित अभ्यर्थी अन्य अभ्यर्थियों की तरह चिकित्सा परीक्षा देंगे और उन्हें चिकित्सीय रूप से फिट घोषित होना चाहिए।</p> <p><b>(ग) चरित्र : बहुत अच्छा/अनुकरणीय</b></p> <p><b>(घ) शारीरिक मानक :</b> भूतपूर्व सैनिकों के लिए शारीरिक मानकों में कुल छूट।</p> <p><b>(ङ) सेवा में व्यवधान :</b> तीन (3) वर्षों से अधिक नहीं होना चाहिए।</p> <p><b>(च) भूतपूर्व सैनिकों के लिए छूट केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी।</b></p> <p><b>टिप्पण :</b> केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के पुनः नियोजन पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा जिन्हें रिक्तियों के विज्ञापन की तिथि को वास्तविक रूप से कार्यभार से मुक्त अथवा सेवानिवृत्त कर दिया गया है।</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

(9)	(10)	(11)
<p>सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।</p>	<p>(i) सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा अथवा स्तम्भ (ii) में यथा उल्लिखित अर्हता वाले अन्य केंद्र से विभागीय अभ्यर्थियों से प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन अथवा संपरिवर्तन द्वारा।</p>	<p><b>(1) प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन :-</b> उपरोक्त पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के विभागों अथवा कार्यालय अथवा प्रतिष्ठानों में समकक्ष पदों पर कार्य कर रहे व्यक्ति (उसी अथवा केन्द्रीय सरकार के अन्य किसी संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए)। प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p> <p><b>(2) संपरिवर्तन :-</b> ऐसे लोगों को जो उस श्रेणी में 05 वर्ष की सेवा वाले आरक्षक/सामान्य कर्तव्य और आरक्षक/ट्रेड्समैन में से संपरिवर्तन किया जाएगा और उन्हें निम्न योग्यता प्राप्त होनी चाहिए:-</p> <p>(i) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा अथवा अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों/संगठनों द्वारा मूलभूत सघन प्रशिक्षण।</p> <p>(ii) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों से वेटनरी थेरेपेटिक/पशुधन प्रबंधन से संबंधित न्यूनतम एक वर्ष का पैरा वेटनरी कोर्स अथवा डिप्लोमा अथवा प्रमाण पत्र उत्तीर्ण होना चाहिए।</p>

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिनमें निम्नलिखित होंगे:	लागू नहीं होता।
(1) मुख्य चिकित्सा अधिकारी / कमाण्डेन्ट - अध्यक्ष	
(2) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी / उप कमाण्डेन्ट - सदस्य	
(3) चिकित्सा अधिकारी / सहायक कमाण्डेन्ट - सदस्य	

[फा. सं. ई -32012/03/2017/ईएसटीटी-I]

हरीश चन्द्र राय, अवर सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खण्ड-3 उप-खण्ड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1 तारीख 28 दिसम्बर 2005 द्वारा प्रकाशित की गयी थी।

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2018

**G.S.R.1228(E).**—In exercise of powers conferred by section 5 read with clause (a) of sub-section (2) of section 22 of the Central Industrial Security Force Act, 1968 (50 of 1968), and in supersession of Central Industrial Security Force, Para Medical Staff (Combatised) Recruitment Rules 2005, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the posts of Assistant Sub-Inspector(Pharmacist), Assistant Sub-Inspector(X-Ray Tech), Assistant Sub Inspector(Laboratory Technician), Head Constable (Veterinary), Constable(Nursing Assistant / Dresser) and Constable (Ward Boy / Girl / Ayah) (Para Medical Staff) in the Central Industrial Security Force, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Central Industrial Security Force, Para Medical Staff (Combatised), Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**—The number of said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Medical Standards.**—(1) The person who seeks appointment under these rules shall fulfil the SHAPE-I medical standards.

(2) For the purposes of sub-rule (1), "SHAPE-I" shall mean the medical category which shall be governed by the executive instructions issued from time to time by the Ministry of Home Affairs or Forces concerned, that is, **S** – Psychiatric problems, **H** – Hearing (Ear diseases), **A** – Appendages pertains to the problems of upper or lower limbs, that is, arms and legs, **P** - Factor is related to other disease like

Hypertension (High Blood Pressure), Cardiac disease (Heart Diseases), Diabetes (High Sugar), Obesity (being Fat – overweight), Cancer, etc. and **E** – Eye sight or Eye diseases.

6. **Ineligibility of aliens.**—No person, who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall apply to the appointment or employment of a subject of **Nepal or Bhutan** in the Force.

7. **Superannuation.**—(1) Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of month in which such person attains the age of sixty years.

Provided that the person whose date of birth is the first day of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the specified age of retirement on superannuation.

8. **Powers to Relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

9. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the Pay Matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Assistant Sub Inspector (Pharmacist).	48*(2018) *Subject to variation dependent on work load).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).	Level 5 (Rs.29200 - 92300).	Not Applicable.	Between 18 and 28 years  (1) Relaxable upto five years in the case of Scheduled Caste or Scheduled Tribe candidates and three years for other Backward Classes.  (2) Relaxable for Government servants, Ex-servicemen and other special categories of personnel in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.  (3) For Departmental candidates with three years continuous service in Central Government, upper age limit shall be 40 years for General and Other Backward Class candidates and 45 years for Scheduled Caste / Scheduled Tribe Candidates.  <b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya,



					<p>Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.</p> <p>In the case of Ex-servicemen {as defined in Clause (a) of Rule 5 of the Ex-servicemen (Re-employment in Central Civil Services and Posts) Amendment Rules, 2012} the extent of service rendered by them plus three years to be deducted from the actual age and the resultant age should not exceed twenty eight years. The upper age limit shall be further relaxable upto <b>05 years in case of SC/ST and 3 years in case of OBC candidates</b> on production of caste certificates in the prescribed format.</p>
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(7)	(8)
<p>(1) <b>Educational Qualification:</b></p> <p>(a) 10+2 Passed from a recognized Board or Institution; and</p> <p>(b) Should have Diploma or Degree in Pharmacy from an institution recognized by Central Government or State Government.</p> <p>(c) Should be registered as a 'Pharmacist' under the Pharmacy Act, 1948. (Not applicable for candidates who have passed from State of Jammu and Kashmir).</p> <p>(2) <b>Physical Standards:</b></p> <p>(A) <b>Male :</b></p> <p>(i) <b>Height</b></p> <p>(a) General or other Backward Class or Scheduled Caste candidates - <b>170 cms.</b></p> <p>(b) <b>Relaxation :</b> Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas, Sikkimies and candidates belonging to the states of Arunachal Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and Jammu and Kashmir – <b>165 cms.</b></p> <p>(c) All candidates belonging to Scheduled Tribes – <b>162.5 cms.</b></p> <p>(ii) <b>Chest:</b></p> <p>(a) For all candidates (except Scheduled Tribes) including Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas, Sikkimies and candidates belonging to the states of Arunachal Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and Jammu and Kashmir - <b>80 - 85 cms.</b></p> <p>(b) For candidates belonging to Scheduled Tribes – <b>77- 82 cms.</b></p> <p>(B) <b>Female:</b></p> <p>(i) <b>Height</b></p> <p>(a) General or Other Backward Class or Scheduled Caste candidates – <b>157 cms.</b></p> <p>(b) <b>Relaxation:</b></p> <p>Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras,</p>	Not applicable.

Marathas, Sikkimies and candidates belonging to the states of Arunachal Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and Jammu and Kashmir – **155 cms.**

(c) for candidates belonging to the Scheduled Tribes – **154 cms.**

(ii) **Chest:** Not applicable.

**Weight:** Proportionate to height and age as per medical standards (for male and female).

**(3) Medical Standards:**

(a) **Visual Standards : (age at entry 18 – 35 years)**

**1. Visual Acuity unaided (NEAR VISION)**

Better eye – N6                      Worse eye – N9

**2. Uncorrected visual acuity (DISTANT VISION)**

Better eye – 6/6                      Worse eye – 6/9

**3. Refraction**

Visual correction of any kind is not permitted even by glasses.

**4. Color Vision**

CP III BY ISIHARA.

**Note:** In right handed person, the right eye is better eye and vice versa. Binocular vision is required.

(ii) Candidates must not suffer from Knock Knees, Flat Foot, Squint in the eyes or varicose vein. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties.

(4) Must qualify the physical efficiency tests.

**Ex-servicemen / Re-employment:** Retired or released Army personnel who have held the substantive rank of Naib Subedar or equivalent rank in Navy / Air Force and having the trade of Pharmacist (Those holding equivalent honorary ranks will not be eligible). They should fulfil the following requirements, namely:-

(a) **Educational Qualification:**

(i) Ex-serviceman who is 10+2 or has obtained the equivalent Indian Army Special Certificate of Education or corresponding certificate in the Navy / Air Force and has put in not less than 15 years of service as on closing date with Armed Forces of the Union shall be considered eligible for appointment to the posts being advertised. Those Ex-servicemen who are not 10+2 or have not completed 15 years of service as on the last date for receipt of applications are not eligible.

(ii) Diploma or Degree in Pharmacy from recognized institution of Central Government or State Government or Army University of Pune.

(b) **Medical Standard:** (i) Should possess medical category SHAPE –I and equivalent to that prescribed for ex-Military personnel.

(ii) **Visual Standard (age at entry 35-55 Years)**

**1. Visual Acuity unaided (Near Vision)**

Better eye – N6      Worse eye – N9

**2. Uncorrected Visual Acuity (Distant Vision)**

Better eye                      Worse Eye

6/9                                  6/9

or                                      or

6/6                                  6/12

**3. Refraction**

Hypermetropia : +2 DS

Myopia : 2.5 DS (including cylinder)

**Note.**-Age related physiological presbyopic changes are likely to occur above 35 years so age wise presbyopic changes relaxation is permitted as mentioned below for near vision (this is in addition to that above relaxation already provided for distant).

i.                      +1 DS upto 40 years

ii.                     +2 DS upto 50 years

<p>iii. +3 DS 51 - 60 years &amp; above</p> <p><b>4. Color Vision</b> CP III BY ISIHARA.</p> <p><b>Note 1.</b> - In right handed person, the right eye is better eye and vice versa. Binocular vision is required. PRESBYOPIC changes and refractive errors are common after the age of 35 years.</p> <p><b>Note 2.</b>- Short listed candidates will undergo same medical examination as for other candidates and should be declared medically fit.</p> <p>(c) <b>Character:</b> Very Good/ Exemplary.</p> <p>(d) <b>Physical standard:</b> Total relaxation of physical standards for ex-servicemen.</p> <p>(e) <b>Break in Service:</b> Not more than two (2) years.</p> <p>(f) Relaxation for ex-servicemen shall be as per the instructions issued by the Central Government from time to time.</p> <p><b>Note:</b> Only those personnel shall be eligible for consideration for appointment on re-employment who have actually released or retired on the date of advertisement of the vacancies.</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption or re-employment, level of pay in the pay matrix from which promotion or deputation or absorption or re-employment to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits.	By direct recruitment failing which by deputation or absorption.	<b>Deputation or absorption:</b> -Persons holding analogous posts under the Central Government or State Government Departments or Office or Establishment having three years regular service in the said post (Period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre posts held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of Central Government shall ordinarily not to exceed three years). The maximum age limit for deputation shall not be exceeding 56 years on the closing date of receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee (for considering promotion) / Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) exists, what is its composition.	Circumstances in which Union public Service Commission is to be consulted in making Recruitment.
(12)	(13)
<p><b>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</b></p> <p>(1) Chief Medical Officer/Commandant - Chairman</p> <p>(2) Senior Medical Officer/Deputy Commandant - Member</p> <p>(3) Medical Officer/Assistant Commandant - Member</p>	Not applicable.

1	2	3	4	5	6
<p><b>2. Assistant Sub Inspector (Laboratory Technician).</b></p>	<p><b>05*(2018)</b> *(Subject to variation dependent on work load).</p>	<p>General Central Service, Group 'C,' Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatized).</p>	<p>Level 5 (Rs.29200 – 92300).</p>	<p>Not Applicable.</p>	<p>Between 18 and 28 years</p> <p>(1) Relaxable up to five years in the case of Scheduled Caste or Scheduled Tribe candidates and three years for other Backward Classes.</p> <p>(2) Also relaxable for Government servants, Ex-servicemen and other special categories of personnel in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.</p> <p>(3) For departmental candidates with three years continuous service in Central Government, upper age limit shall be 40 years for General and Other Backward Class candidates and 45 years for Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates.</p> <p><b>Note:-</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.</p> <p>In the case of Ex-servicemen {as defined in Clause (a) of Rule 5 of the Ex-servicemen{Re-employment in Central Civil Services and Posts Amendment Rules, 2012} the extent of service rendered by them plus three years to be deducted from the actual age and the resultant age should not exceed twenty eight years. The upper age limit shall be further relaxable upto <b>05 years in case of SC/ST and 3 years in case of OBC candidates</b> on production of caste certificates in the prescribed format.</p>

7	8
<p><b>(1) Educational qualification:</b></p> <p>(a) 10+2 passed with Science from a recognized Board or Institution; and</p> <p>(b) 2 years Diploma in Medical Laboratory Technology from an institution recognized by any Central Government or State Government.</p> <p><b>(2) Physical Standards:</b></p> <p><b>(A) Male :</b></p> <p><b>(i) Height</b></p> <p>(a) General or other Backward Class or Scheduled Caste candidates - <b>170 cms.</b></p> <p>(b) <b>Relaxation :</b> Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas, Sikkimies and candidates belonging to the states of Arunachal Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and Jammu and Kashmir – <b>165 cms.</b></p> <p>(c) All candidates belonging to Scheduled Tribes – <b>162.5 cms.</b></p> <p><b>(ii) Chest:</b></p> <p>(a) For all candidates (except Scheduled Tribes) including Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas, Sikkimies and candidates belonging to the states of Arunachal Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and Jammu and Kashmir - <b>80 - 85 cms.</b></p> <p>(b) For candidates belonging to Scheduled Tribes – <b>77- 82 cms.</b></p> <p><b>(B) Female:</b></p> <p><b>(i) Height</b></p> <p>(a) General or Other Backward Class or Scheduled Caste candidates – <b>157 cms.</b></p> <p>(b) <b>Relaxation :</b> Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas, Sikkimies and candidates belonging to the states of Arunachal Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and Jammu and Kashmir – <b>155 cms.</b></p> <p>(c) For candidates belonging to the Scheduled Tribes – <b>154 cms.</b></p> <p><b>(ii) Chest:</b> Not applicable.</p> <p><b>Weight:</b> Proportionate to height and age as per medical standards (for male and female).</p> <p><b>(3) Medical Standards:</b></p> <p><b>(a) Visual Standards : (age at entry 18–35 years)</b></p> <p>1. <b>Visual Acuity unaided (NEAR VISION)</b></p> <p>Better eye – N6</p> <p>Worse eye – N9</p> <p>2. <b>Uncorrected visual acuity (DISTANT VISION)</b></p> <p>Better eye – 6/6</p> <p>Worse eye – 6/9</p> <p>3. <b>Refraction</b></p> <p>Visual correction of any kind is not permitted even by glasses.</p> <p>4. <b>Color Vision</b></p> <p>CP III BY ISIHARA.</p> <p>Note: In right handed person, the right eye is better eye and vice versa. Binocular vision is required.</p> <p>(ii) Candidates must not suffer from Knock Knees, Flat Foot, Squint in eyes or Varicose vein.</p>	<p>Not applicable.</p>

They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties.

(4) Must qualify the physical efficiency tests.

**Ex-servicemen / Re-employment:** Retired or released Army personnel who have held the substantive rank of Naib Subedar or equivalent rank in Navy / Air Force and having the trade of Lab Technician (Those holding equivalent honorary ranks will not be eligible). They should fulfil the following requirements, namely:-

(a) **Educational Qualification:**

(i) Ex-serviceman who is 10+2 or has obtained the equivalent Indian Army Special Certificate of Education or corresponding certificate in the Navy / Air Force and has put in not less than 15 years of service as on closing date with Armed Forces of the Union shall be considered eligible for appointment to the posts being advertised. Those Ex-servicemen who are not 10+2 or have not completed 15 years of service as on the last date for receipt of applications are not eligible.

(ii) Diploma in Medical Laboratory Technology from recognized institution of Central Government or State Government or Army University of Pune.

(b) **Medical Standard:**

(i) Should possess medical category SHAPE –I and equivalent to that prescribed for ex-Military personnel.

(ii) **Visual Standard (age at entry 35-55 Years)**

1. **Visual Acuity unaided (NEAR VISION)**

Better eye – N6

Worse eye – N9

2. **Uncorrected visual acuity (DISTANT VISION)**

Better eye           Worse Eye

6/9                   6/9

or                   or

6/6                   6/12

3. **Refraction:**

Hypermetropia : +2 DS

Myopia : 2.5 DS (including cylinder)

**Note.**-Age related physiological presbyopic changes are likely to occur above 35 years so age wise presbyopic changes relaxation is permitted as mentioned below for near vision (this is in addition to that above relaxation already provided for distant).

i. +1 DS upto 40 years

ii. +2 DS upto 50 years

iii. +3 DS 51 - 60 years & above

4. **Color Vision :**

CP III BY ISIHARA.

**Note 1.** - In right handed person, the right eye is better eye and vice versa. Binocular vision is required. PRESBYOPIC changes and refractive errors are common after the age of 35 years.

**Note 2.** – Short listed candidates will undergo same medical examination as for other candidates and should be declared medically fit.

(c) **Character:** Very Good/ Exemplary.

(d) **Physical standard:** Total relaxation of physical standards for ex-servicemen.

(e) **Break in Service:** Not more than two (2) years.

(f) Relaxation for ex-servicemen shall be as per the instructions issued by the Central Government from time to time.

**Note:** Only those personnel shall be eligible for consideration for appointment on re-employment who have actually released or retired on the date of advertisement of the vacancies.

(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits.	By direct recruitment failing which by deputation or absorption.	<p><b>Deputation or absorption: -</b></p> <p>Persons holding analogous posts under the Central Government or State Government Departments or Office or Establishment having three years regular service in the said post (Period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre posts held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for deputation shall not be exceeding 56 years on the closing date of application.</p>

(12)	(13)
<p>Group "C" Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :</p> <p>(1) Chief Medical Officer/Commandant - Chairman</p> <p>(2) Senior Medical Officer/Deputy Commandant - Member</p> <p>(3) Medical Officer / Assistant Commandant - Member</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Assistant Sub Inspector (X-Ray Tech).	05* (2018) *(Subject to variation dependent on work load).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatized).	Level 5 (Rs.29200 – 92300).	Not applicable.	<p>Between 18 and 28 years</p> <p>(1) Relaxable up to five years in the case of Scheduled Caste or Scheduled Tribe candidates and three years for other Backward Classes.</p> <p>(2) Relaxable for Government servants, Ex-servicemen and other special categories of personnel in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.</p> <p>(3) For departmental candidates with three years continuous service in Central Government, upper age limit shall be 40 years for General and Other Backward Class</p>

					<p>Candidates and 45 years for Scheduled Caste/Scheduled Tribe Candidates.</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and the pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.</p> <p>In the case of Ex-servicemen (as defined in Clause(a) of Rule 5 of the Ex-servicemen Re-employment in Central Civil Services and Posts Amendment Rules, 2012) the extent of service rendered by them plus three years to be deducted from the actual age and the resultant age should not exceed twenty eight years. The upper age limit shall be further relaxable upto <b>05</b> years in case of <b>SC/ST</b> and <b>3</b> years in case of <b>OBC</b> candidates on production of caste certificates in the prescribed format.</p>
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



(7)	(8)
<p><b>(1) Educational Qualification:</b></p> <p>(a) 10+2 Passed from a recognized Board or Institution; and</p> <p>(b) 2 years Diploma in Radiography from an Institution recognized by Central Government or State Government.</p> <p><b>(2) Physical Standards:</b></p> <p><b>(A) Male :</b></p> <p>(i) <b>Height</b></p> <p>(a) General or other Backward Class or Scheduled Caste candidates - <b>170</b> cms.</p> <p>(b) <b>Relaxation :</b> Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas, Sikkimies and candidates belonging to the states of Arunachal Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Meghalaya, Nagaland, Sikkim, Tripura and Jammu and Kashmir - <b>165</b> cms.</p> <p>(c) All candidates belonging to Scheduled Tribes - <b>162.5</b> cms.</p> <p>(ii) <b>Chest:</b></p> <p>(a) For all candidates (except Scheduled Tribes) including Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas, Sikkimies and candidates belonging to the states of Arunachal Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Meghalaya, Nagaland, Sikkim, Tripura and Jammu and Kashmir- <b>80 - 85</b> cms.</p> <p>(b) For candidates belonging to Scheduled Tribes - <b>77 - 82</b> cms.</p> <p><b>(B) Female:</b></p> <p>(i) <b>Height</b></p> <p>(a) General or Other Backward Class or Scheduled Caste candidates - <b>157</b> cms.</p> <p>(b) <b>Relaxation:</b> Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas, Sikkimies and candidates belonging to the states of Arunachal Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and Jammu and Kashmir - <b>155</b> cms.</p> <p>(c) For candidates belonging to the Scheduled Tribes - <b>154</b> cms.</p> <p>(ii) <b>Chest:</b> Not applicable.</p> <p>(iii) <b>Weight:</b> Proportionate to height and age as per medical standards (for male and female).</p> <p><b>(3) Medical Standards:</b></p> <p>(a) <b>Visual Standards : (AGE OF ENTRY 18 – 35 YEARS )</b></p> <p><b>1. Visual Acuity unaided (NEAR VISION)</b></p> <p>Better eye – N6      Worse eye – N9</p> <p><b>2. Uncorrected visual acuity (DISTANT VISION)</b></p> <p>Better eye – 6/6      Worse eye – 6/9</p> <p><b>3. Refraction:</b> Visual correction of any kind is not permitted even by glasses.</p> <p><b>4. Color Vision:</b></p> <p>CP III BY ISIHARA.</p> <p>Note: In right handed person, the right eye is better eye and vice versa. Binocular vision is required.</p> <p>(b) Candidates must not suffer from Knock Knee, Flat Foot, Squint in eyes or Varicose veins. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties.</p> <p><b>(4) Must qualify the physical efficiency tests.</b></p> <p><b>Ex-servicemen / Re-employment:</b> Retired or released Army personnel who have held the</p>	Not applicable.

substantive rank of Naib Subedar or equivalent rank in Navy / Air Force (Those holding equivalent honorary ranks will not be eligible) and having the trade of X-Ray Tech. They should fulfil the following requirements, namely:-

**(a) Educational Qualification:**

(i) Ex-serviceman who is 10+2 or has obtained the equivalent Indian Army Special Certificate of Education or corresponding certificate in the Navy / Air Force and has put in not less than 15 years of service as on closing date with Armed Forces of the Union shall be considered eligible for appointment to the posts being advertised. Those Ex-servicemen who are not 10+2 or have not completed 15 years of service as on the last date for receipt of applications are not eligible.

(ii) Diploma in Radiography from recognized institution of Central Government or State Government or Army University of Pune.

**(b) Medical Standard:**

(i) Should possess medical category SHAPE –I and equivalent to that prescribed for ex-Military personnel.

**(ii) Visual Standard(age at entry 35-55 Years)**

**1. Visual Acuity unaided (Near Vision)**

Better eye – N6

Worse eye – N9

**2. Uncorrected Visual Acuity (Distant Vision)**

Better eye	Worse eye
6/9	6/9
or	or
6/6	6/12

**3. Refraction:**

Hypermetropia : +2 DS

Myopia : 2.5 DS (including cylinder)

**Note.-**Age related physiological presbyopic changes are likely to occur above 35 years so age wise presbyopic changes relaxation is permitted as mentioned below for near vision (this is in addition to that above relaxation already provided for distant).

- i. +1 DS upto 40 years
- ii. +2 DS upto 50 years
- iii. +3 DS 51 - 60 years & above

**4. Color Vision:**

CP III BY ISIHARA.

**Note 1.** - In right handed person, the right eye is better eye and vice versa. Binocular vision is required. PRESBYOPIC changes and refractive errors are common after the age of 35 years.

**Note 2.** – Short listed candidates will undergo same medical examination as for other candidates and should be declared medically fit.

(c) **Character:** Very Good/ Exemplary.

(d) **Physical standard:** Total relaxation of physical standards for ex-servicemen.

(e) **Break in Service:** Not more than two (2) years.

(f) Relaxation for ex-servicemen shall be as per the instructions issued by the Central Government from time to time.

**Note:** Only those personnel shall be eligible for consideration for appointment on re-employment who have actually released or retired on the date of advertisement of the vacancies.

(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits.	By direct recruitment failing which by deputation or absorption.	<b>Deputation or absorption: -</b> Persons holding analogous posts under the Central Government or State Government Departments or Office or Establishment having three years regular service in the said post (Period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre posts held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of Central Government shall ordinarily not to exceed three years). The maximum age limit for deputation shall not be exceeding 56 years on the closing date of application.

(12)	(13)
<b>Group "C" Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation)</b> consisting of : (1) Chief Medical Officer/Commandant - Chairman (2) Senior Medical Officer/Deputy Commandant - Member (3) Medical Officer / Assistant Commandant - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. <b>Constable (Nursing Assistant/Dresser).</b>	<b>14 *(2018)</b> *(Subject to variation dependent on work load).	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatized).	Level 3 (Rs.21700-69100).	Not applicable.	Between 18 and 25 years (1) Relaxable up to five years in the case of Scheduled Caste or Scheduled Tribe candidates and three years for other Backward Classes. (2) Also relaxable for Government servants, Ex-servicemen and other special categories of personnel in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

(7)	(8)
<b>(1) Educational qualification:</b> (i) Passed minimum Matriculation examination or equivalent with Science from a Board recognized by the Central Government / State Government, and (ii) Not less than one year experience in bandage and dressing of wounds. (iii) After joining, the candidate will have to qualify six months Basic Nursing Assistant Course or Medics course in CPMFs within the probation period. <b>(2) Physical Standards :-</b> <b>(A) Male :</b> (i) <b>Height</b> (a) General or other Backward Class or Scheduled Caste candidates – <b>170 Cms.</b>	No applicable.

(b) **Relaxation** : Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas, Sikkimies and candidates belonging to the states of Arunachal Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and Jammu and Kashmir – **165 cms.**

(c) All candidates belonging to Scheduled Tribes categories – **162.5 cms.**

(ii) **Chest:**

(a) For all candidates (except Scheduled Tribes) including Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas, Sikkimies and candidates belonging to the states of Arunachal Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Meghalaya, Nagaland, Sikkim, Tripura and Jammu and Kashmir - **80-85 Cms.**

(b) for candidates belonging to Scheduled Tribes - **76-81 Cms.**

(B) **Female:**

(i) **Height**

(a) General or Other Backward Class or Scheduled Caste candidates – **157 Cms.**

(b) **Relaxation:** Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas, Sikkimies and candidates belonging to the states of Assam, Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, and Jammu and Kashmir – **155 cms.**

(c) All candidates belonging to the Scheduled Tribes - **150 cms.**

(ii) **Chest:** Not applicable.

(C) **Weight:** Corresponding to height and age as per medical standards (For males and females).

### 3) **Medical Standards**

(i) **Visual Standards : (Age at entry 18 – 35 years )**

(a) **Visual Acuity unaided (NEAR VISION)**

Better eye – N6          Worse eye – N9

(b) **Uncorrected visual acuity (DISTANT VISION)**

Better eye – 6/6          Worse eye – 6/9

(c) **Refraction**

Visual correction of any kind is not permitted even by glasses.

(d) **Color Vision**

CP III BY ISIHARA.

Note – In right handed person, the Right eye is better eye and vice versa. Binocular vision is required.

(ii) Candidates must not suffer from knock-knees, flat foot, varicose veins and squint in eyes. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties.

(4) Must qualify the physical efficiency tests.

### **Ex-servicemen / Re-employment :**

Retired or released Army personnel who have held the substantive rank of Sepoy or equivalent rank in the Navy / Air Force and having the trade of Nursing Assistant / Dresser) (Those holding equivalent honorary ranks will not be eligible). They should fulfill the following requirements, namely:-

(a) **Educational Qualification** : Matriculation or equivalent or having Army 1<sup>st</sup> Class certificate or equivalent of Navy / Air Force, who has put in not less than 15 years of service as on closing date with Armed Forces of the Union shall be considered eligible for appointment to the posts being advertised. Those non-Matric Ex-servicemen and who has not completed 15 years of service as on the last date of

<p>receipt of application are not eligible.</p> <p>(b) <b>Medical Standard:</b></p> <p>(i) Should possess medical category SHAPE –I and equivalent to that prescribed for Ex-Military personnel.</p> <p>(ii) <b>Visual Standard (age at entry 35-55 Years)</b></p> <p>1. <b>Visual Acuity unaided (NEAR VISION)</b>          Better eye – N6      Worse eye – N9</p> <p>2. <b>Uncorrected visual acuity (DISTANT VISION)</b>          Better eye      Worse Eye                    6/9            6/9                    or            or                    6/6            6/12</p> <p>3. <b>Refraction</b>          Hypermetropia : +2 DS          Myopia : 2.5 DS (including cylinder)</p> <p><b>Note.</b>-Age related physiological presbyopic changes are likely to occur above 35 years so age wise presbyopic changes relaxation is permitted as mentioned below for near vision (this is in addition to that above relaxation already provided for distant).</p> <p style="margin-left: 20px;">i. +1 DS upto 40 years          ii. +2 DS upto 50 years          iii. +3 DS 51 - 60 years &amp; above</p> <p>4. <b>Color Vision</b>          CP III BY ISIHARA.</p> <p><b>Note 1.</b> - In right handed person, the right eye is better eye and vice versa. Binocular vision is required. PRESBYOPIC changes and refractive errors are common after the age of 35 years.</p> <p><b>Note 2.</b> – Short listed candidates will undergo same medical examination as for other candidates and should be declared medically fit.</p> <p>(c) <b>Character:</b> Very Good/ Exemplary.</p> <p>(d) <b>Physical standard:</b> Total relaxation of physical standards for ex-servicemen.</p> <p>(e) <b>Break in Service:</b> Not more than three (3) years.</p> <p>(f) Relaxation for ex-servicemen shall be as per the instructions issued by the Central Government from time to time.</p> <p><b>Note:</b> Only those personnel shall be eligible for consideration for appointment on re-employment who have actually released or retired on the date of advertisement of the vacancies.</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

(9)	(10)	(11)
Two Years for direct recruits.	By Conversion, failing which by direct recruitment.	<p><b>By Conversion:-</b> From among Constable (General Duty), Constable (Tradesmen) and Constable(Ward Boys/Girls/Ayahs) who have educational qualification of Matric, completed probation period satisfactorily and have qualified Nursing Assistant/Medic Course in Central Para Military Forces.</p> <p><b>Note:</b> Existing Nursing Orderlies/Assistant (Civilian) may be converted to Constable (Nursing Assistant) combatised who fulfills the eligibility condition of the post.</p>

(12)	(13)
Group "C" Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of (1) Chief Medical Officer /Commandant - Chairman (2) Senior Medical Officer/Deputy Commandant - Member (3) Medical Officer / Assistant Commandant - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>5. Constable (Ward Boy/Girl/Ayah).</b>	<b>14* (2018)</b> *(Subject to variation dependent on work load).	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).	Level 3 (Rs.21700-69100).	Not applicable.	<p>Between 18 and 25 years</p> <p>(1) Relaxable up to five years in the case of Scheduled Caste or Scheduled Tribe candidates and three years for other Backward Classes.</p> <p>(2) Relaxable for Government servants, Ex-servicemen and other special categories of personnel in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.</p> <p>(3) For departmental candidates with three years continuous service in Central Government, upper age-limit shall be 40 years for General and Other Backward Class candidates and 45 years for Scheduled Caste/ Scheduled Tribe Candidates.</p> <p>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipts of application from candidate and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Sipti Districts and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.</p> <p>In the case of Ex-servicemen {as defined in Clause (a) of Rule 5 of the Ex-servicemen (Re-employment in Central Civil Services and Posts) Amendment Rules, 2012} the</p>

					extent of service rendered by them plus three years to be deducted from the actual age and the resultant age should not exceed twenty five years. The upper age limit shall be further relaxable upto <b>05 years in case of SC/ST and 3 years in case of OBC candidates</b> on production of caste certificates in the prescribed format.
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(7)	(8)
<p><b>(1) Educational qualification:</b></p> <p>(i) Passed minimum Matriculation examination or equivalent from a Board recognized by the Centre/State Government ; and</p> <p>(ii) Should possess First Aid Certificate from Saint John Ambulance Organization or Red Cross Society of India.</p> <p><b>(2) Physical Standards :-</b></p> <p><b>(A) Male :</b></p> <p>(i) <b>Height</b></p> <p>(a) General or other Backward Class or Scheduled Caste candidates – <b>170 Cms.</b></p> <p>(b) <b>Relaxation</b> : Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas, Sikkimies and candidates belonging to the states of Arunachal Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and Jammu and Kashmir – <b>165 cms.</b></p> <p>(c) All candidates belonging to Scheduled Tribes – <b>162.5 cms.</b></p> <p>(ii) <b>Chest:</b></p> <p>(a) For all candidates (except Scheduled Tribes) including Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas, Sikkimies and candidates belonging to the states of Arunachal Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Meghalaya, Nagaland, Sikkim, Tripura and Jammu and Kashmir - <b>80-85 Cms.</b></p> <p>(b) for candidates belonging to Scheduled Tribes - <b>76-81 Cms.</b></p> <p><b>(B) Female:</b></p> <p>(i) <b>Height</b></p> <p>(a) General or Other Backward Class or Scheduled Caste candidates – <b>157 Cms.</b></p> <p>(b) <b>Relaxation:</b> Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas, Sikkimies and candidates belonging to the states of Arunachal Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and Jammu and Kashmir – <b>155 cms.</b></p> <p>(c) All candidates belonging to the Scheduled Tribes – <b>150 cms.</b></p> <p>(ii) <b>Chest:</b> Not applicable.</p> <p><b>(C) Weight:</b> Corresponding to height and age as per medical standards (For males and females).</p> <p><b>3) Medical Standards</b></p> <p><b>(a) Visual Standards : (Age at entry 18 – 35 years)</b></p> <p><b>(1) Visual Acuity unaided (NEAR VISION)</b></p> <p style="padding-left: 40px;">Better eye – N6                  Worse eye – N9</p>	Not applicable.

**(2) Uncorrected visual acuity (DISTANT VISION)**

Better eye – 6/6      Worse eye –6/9

**(3) Refraction**

Visual correction of any kind is not permitted even by glasses.

**(4) Color Vision**

CP III BY ISIHARA.

Note : In right handed person, the Right eye is better eye and vice versa. Binocular vision is required.

(ii) Candidates must not suffer from knock-knees, flat foot, varicose veins and squint in the eyes. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties.

(4) Must qualify the physical efficiency tests.

**Ex-servicemen / Re-employment :**

Retired or released Army personnel who have held the substantive rank of Sepoy or equivalent rank in the Navy / Air Force and having the trade of Constable (Ward Boy / Girl / Ayah). (Those holding equivalent honorary ranks will not be eligible). They should fulfill the following requirements, namely:-

(a) **Educational Qualification** : Matriculation or equivalent or having Army 1<sup>st</sup> Class certificate or equivalent of Navy / Air Force, who has put in not less than 15 years of service as on closing date with Armed Forces of the Union shall be considered eligible for appointment to the posts being advertised. Those non-Matric Ex-servicemen and who has not completed 15 years of service as on the last date of receipt of application are not eligible.

**(b) Medical Standard:**

(i) Should possess medical category SHAPE –I and equivalent to that prescribed for Ex-Military personnel.

**(ii) Visual Standard (age at entry 35-55 Years)****1. Visual Acuity unaided (NEAR VISION)**

Better eye – N6      Worse eye – N9

**2. Uncorrected visual acuity (DISTANT VISION)**

Better eye      Worse Eye

6/9                  6/9

or                    or

6/6                  6/12

**3. Refraction**

Hypermetropia : +2 DS

Myopia : 2.5 DS (including cylinder)

**Note.**-Age related physiological presbyopic changes are likely to occur above 35 years so age wise presbyopic changes relaxation is permitted as mentioned below for near vision (this is in addition to that above relaxation already provided for distant).

i. +1 DS upto 40 years

ii. +2 DS upto 50 years

iii. +3 DS 51 - 60 years & above

**4. Color Vision**

CP III BY ISIHARA.

**Note 1.** - In right handed person, the right eye is better eye and vice versa. Binocular vision is required. PRESBYOPIC changes and refractive errors are common after the age of 35 years.



<p><b>Note 2.</b> – Short listed candidates will undergo same medical examination as for other candidates and should be declared medically fit.</p> <p>(c) <b>Character:</b> Very Good/ Exemplary.</p> <p>(d) <b>Physical standard:</b> Total relaxation of physical standards for ex-servicemen.</p> <p>(e) <b>Break in Service:</b> Not more than three (3) years.</p> <p>(f) Relaxation for ex-servicemen shall be as per the instructions issued by the Central Government from time to time.</p> <p><b>Note:</b> Only those personnel shall be eligible for consideration for appointment on re-employment who have actually released or retired on the date of advertisement of the vacancies.</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

(9)	(10)	(11)
Two Years For direct recruits.	By direct recruitment failing which by deputation or absorption.	<b>Deputation or absorption: -</b> Persons holding analogous posts under the Central Government or State Government Departments or Office or Establishment having three years regular service in the said post (Period of deputation including the period of deputation in the same or some other organization or department of Central Government shall ordinarily not to exceed three years). The maximum age limit for deputation shall not be exceeding 56 years on the closing date of receipt of application.

(12)	(13)
<p><b>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</b></p> <p>(1) Chief Medical Officer/Commandant - Chairman</p> <p>(2) Senior Medical Officer/Deputy Commandant - Member</p> <p>(3) Medical Officer /Assistant Commandant - Member</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>6. Head Constable (Veterinary).</b>	<b>5*(2018)</b> *(Subject to variation dependent on work load).	General Central Service, Group "C", Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatized).	Level 4 (Rs.25500 – 81100).	Not Applicable.	<p><b>Between 18 and 25 years</b></p> <p>(1) Relaxable up to five years in the case of Scheduled Caste or Scheduled Tribe candidates and three years for other Backward Classes.</p> <p>(2) Relaxable for Government servants, Ex-servicemen and other special categories of personnel in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.</p> <p>(3) For departmental candidates with three years continuous</p>

					<p>service in Central Government, upper age limit shall be 40 years for General and Other Backward Class candidates and 45 years for Scheduled Caste/ Scheduled Tribe Candidates.</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipts of application from candidate and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Sipti Districts and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.</p> <p>In the case of Ex-servicemen {as defined in Clause (a) of Rule 5 of the Ex-servicemen (Re-employment in Central Civil Services and Posts) Amendment Rules, 2012} the extent of service rendered by them plus three years to be deducted from the actual age and the resultant age should not exceed twenty five years. The upper age limit shall be further relaxable upto <b>05 years in case of SC/ST and 3 years in case of OBC candidates</b> on production of caste certificates in the prescribed format.</p>
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(7)	(8)
<p><b>(1) Educational qualification:</b></p> <p>a) 10 + 2 Passed or equivalent from a recognized Board or Institution.</p> <p>b) Should have passed Para Veterinary Course or Diploma or Certificate of minimum One year duration related to Veterinary Therapeutic or Livestock Management from a Government. recognized institute.</p> <p><b>(2) Physical Standards :-</b></p> <p><b>(A) Male</b></p> <p><b>(i) Height:</b></p> <p>(a) General or Other Backward Class or Scheduled Caste candidates <b>170 cms.</b></p> <p>(b) <b>Relaxation</b> : Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas, Sikkimies and candidates belonging to the states of Arunachal Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and Jammu and Kashmir – <b>165 cms.</b></p> <p>(c) All candidates belong to Scheduled Tribes categories- <b>162.5 cms.</b></p> <p><b>(ii) Chest:</b></p> <p>(a) For all candidates (except Scheduled Tribes) including Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas Sikkimies and candidates belonging to the states of Assam, Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, and Jammu and Kashmir – <b>80-85 Cms.</b></p> <p>(b) for candidates belonging to Scheduled Tribes - <b>77-82 Cms.</b></p> <p><b>(B) Female:</b></p> <p><b>(i) Height</b></p> <p>(a) General or Other Backward Class or Scheduled Caste candidates – <b>157 Cms.</b></p> <p>(b) <b>Relaxation:</b> Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas, Sikkimies and candidates belonging to the states of Arunachal Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and Jammu and Kashmir – <b>155 cms.</b></p> <p>(c) For candidates belonging to the Scheduled Tribes – <b>154 cms.</b></p> <p><b>(ii) Chest:</b> Not applicable.</p> <p><b>(C) Weight:</b> Corresponding to height and age as per medical standards (For males and females).</p> <p><b>3) Medical Standards</b></p> <p><b>(i) Visual Standards : (Age at entry 18 – 35 years )</b></p> <p><b>(a) Visual Acuity unaided (NEAR VISION)</b></p> <p>Better eye – N6              Worse eye – N9</p> <p><b>(b) Uncorrected visual acuity (DISTANT VISION)</b></p> <p>Better eye – 6/6              Worse eye –6/9</p> <p><b>(c) Refraction</b></p> <p>Visual correction of any kind is not permitted even by glasses.</p> <p><b>(d) Color Vision</b></p> <p>CP III BY ISIHARA.</p> <p>Note – In right handed person, the Right eye is better eye and vice versa. Binocular vision is required.</p> <p><b>(ii) Candidates must not suffer from knock-knees, flat foot, varicose veins and squint in the</b></p>	<p>Not applicable.</p>

eyes. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties.

(4) Must qualify the physical efficiency tests.

**(a) Ex-servicemen / Re-employment :**

Retired or released Army personnel who have held the substantive rank of Head Constable (Vet) or equivalent rank in the Navy / Air Force (Those holding equivalent honorary ranks will not be eligible).

They should fulfill the following requirements, namely:-

**(a) Educational Qualification :**

(i) Ex-servicemen who is 10 + 2 or has obtained the equivalent Indian Army Special Certificate of Education or corresponding certificate in the Navy / Air Force and has put in not less than 15 years of service as on closing date with Armed Forces of the Union shall be considered eligible for appointment to the posts being advertised. Those Ex-servicemen who are not 10+2 or have not completed 15 years of service as on the last date for receipt of applications are not eligible.

(ii) Diploma in Para Veterinary Course from recognized institution of Central Government or State Government or Army University of Pune.

**(b) Medical Standard:**

(i) Should possess medical category SHAPE –I and equivalent to that prescribed for Ex-Military personnel.

**(ii) Visual Standard(age at entry 35-55 Years)**

**1. Visual Acuity corrected (NEAR VISION)**

Better eye – N6      Worse eye – N9

**2. Uncorrected visual acuity (DISTANT VISION)**

Better eye      Worse Eye

6/9              6/9

or              or

6/6              6/12

**3. Refraction**

Hypermetropia : +2 DS

Myopia : 2.5 DS (including cylinder)

**Note.-** Age related physiological presbyopic changes are likely to occur above 35 years so age wise presbyopic changes relaxation is permitted as mentioned below for near vision (this is in addition to that above relaxation already provided for distant).

i. +1 DS upto 40 years

ii. +2 DS upto 50 years

iii. +3 DS 51 - 60 years & above

**4. Color Vision**

CP III BY ISIHARA.

**Note 1.** - In right handed person, the right eye is better eye and vice versa. Binocular vision is required. PRESBYOPIC changes and refractive errors are common after the age of 35 years.

**Note 2.** – Short listed candidates will undergo same medical examination as for other candidates and should be declared medically fit.

(c) **Character:** Very Good/ Exemplary.

(d) **Physical standard:** Total relaxation of physical standards for ex-servicemen.

<p>(e) <b>Break in Service:</b> Not more than three (3) years.</p> <p>(f) Relaxation for ex-servicemen shall be as per the instructions issued by the Central Government from time to time.</p> <p><b>Note:</b> Only those personnel shall be eligible for consideration for appointment on re-employment who have actually released or retired on the date of advertisement of the vacancies.</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits.	By direct recruitment failing which by deputation or absorption or by conversion of departmental candidates from other cadres having qualification as mentioned in Column (11).	<p><b>(i) Deputation or Absorption:</b> Persons holding analogous posts under the Central Government or State Government Departments or Office or Establishment having three years regular service in the said post. (Period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of Central Government shall ordinarily not to exceed three years). The maximum age limit for deputation shall not be exceeding 56 years on the closing date of receipt of application.</p> <p><b>(ii) Conversion:-</b> From amongst Constable/General Duty and Constable /Tradesman of CISF with five years in the grade and have undergone:-</p> <p>(i) Basic Condensed Course organized by Central Armed Police Forces or by other recognized institutes /organization.</p> <p>(ii) Passed Para Veterinary Course or Diploma or Certificate of minimum 01 year duration related to Veterinary Therapeutic / Livestock Management from a Government recognized institute.</p>

(12)	(13)
<p><b>Group "C" Departmental confirmation Committee/ (for considering Confirmation)</b></p> <p>(1) Chief Medical Officer/ Commandant - Chairman</p> <p>(2) Senior Medical Officer/Deputy Commandant - Member</p> <p>(3) Medical Officer/ Assistant Commandant - Member</p>	Not applicable.

[F. No. E-32012/03/2017/Estt.I]

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 1 dated 28.12.2005.